



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2025-अग्रहायण 21, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के
आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत
की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 9

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2025

क्र.ई-5-1246-आयएस-लीव-5-एक.-श्री गगन सिंह मीना, भाप्रसे (2023), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), श्योपुर, जिला श्योपुर का दिनांक 17 नवम्बर 2025 से 05 दिसम्बर 2025 तक, उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 15,16 नवम्बर 2025 एवं दिनांक 06, 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 29 नवम्बर से 07 दिसम्बर 2025 तक, नौ दिवस हेतु एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गगन सिंह मीना, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), श्योपुर, जिला श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री गगन सिंह मीना, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गगन सिंह मीना, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2025

क्र.ई-5-1252-आयएस-लीव-5-एक.-श्री पंकज वर्मा, भाप्रसे (2023), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा, जिला खण्डवा का दिनांक 01 से 19 दिसम्बर 2025 तक, उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 29, 30 नवम्बर एवं 20, 21 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 08 से 12 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिवस के एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पंकज वर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

3. अवकाशकाल में श्री पंकज वर्मा, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज वर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्र.ई-5-892-आयएएस-लीव-5-एक.-श्री आशीष सिंह, भाप्रसे (2010), आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का दिनांक 18 से 24 दिसम्बर 2025 तक, सात दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. श्री आशीष सिंह, भाप्रसे (2010), आयुक्त, उज्जैन संभाग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे (2015), कलेक्टर, जिला उज्जैन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

3. अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

4. श्री आशीष सिंह, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

5. अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

7. यदि श्री आशीष सिंह, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा।

क्र.ई-5-1134-आयएएस-लीव-5-एक.-श्री अक्षत जैन, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल का दिनांक 04 से 12 दिसम्बर 2025 तक, नौ दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 13, 14 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 04 से 12 दिसम्बर 2025 तक, नौ दिवस के एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री अक्षत जैन, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

3. अवकाशकाल में श्री अक्षत जैन, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अक्षत जैन, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2025

क्र.ई-1-167-2025-5-एक.-श्री अनुपम राजन, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2025

क्र.ई-1-97-2025-5-एक.-भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 9-26-2025-EO (MM-I), दिनांक 18 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की सेवाएं भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए, नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

क्र.ई-1-97-2025-5-एक.-इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2025 द्वारा श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की सेवाएं निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पद पर भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी गई है।

2. उपरोक्तानुसार श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009) के कार्यमुक्त होने पर श्री विशेष गढ़पाले, भाप्रसे (2008), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्र. एफ-3-0018-2025-जीएडी-एक.- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 7-10-2025 (Part)-M&G, दिनांक 25 नवम्बर 2025 तथा माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में भोपाल तथा पचमढ़ी स्थित "राजभवन" का नाम संशोधित करते हुए "लोक भवन" किया जाता है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी.

अजय कटेशरिया, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2025

क्र.-यूडीएच-3-0195-2025-अठारह-5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-1674-टीसी-55-धार-उपा-नग्रानि-2023-2025, भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2025 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार धार विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्र.	ग्राम/तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा	विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ग्राम मालीवाड़ा, तहसील एवं जिला धार.	830/2	0.800	0.800	प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र, वर्तमान सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं, आंशिक कृषि, वर्तमान मार्ग (30.0 मीटर) एवं प्रस्तावित मार्ग (30.0 मीटर एवं 18.0 मीटर चौड़े).	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक तथा वर्तमान मार्ग (30.0 मीटर) प्रस्तावित मार्ग (30.0 मीटर एवं 18.0 मीटर चौड़े).
2	ग्राम आमखेड़ा, तहसील एवं जिला धार.	372	1.214	1.214		
3		373	1.505	1.505		
4		374	1.214	1.214		
5		400	3.238	3.238		
6		401/1	1.400	1.400		
7		403	2.023	2.023		
8		404/1	1.900	1.900		
9		405	1.180	1.180		
10.		406/2	1.000	1.000		
11.		407/3/1	0.630	0.630		
12.		320/4	3.150	1.770		
		कुल रकबा	19.254	17.874		

शर्त :-

1. प्रश्नाधीन भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में मांडव लिंक मार्ग 30.00 मीटर चौड़ा है. उक्त मार्ग के मध्य से दोनों ओर 15.00 मीटर-15.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.
2. प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा में धूप तालाब स्थित है. धूप तालाब के (एफ.टी.एल.) उच्चतम जलस्तर से 50.00 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का भवन निर्माण कार्य स्वीकार्य नहीं होगा.
3. प्रश्नाधीन भूमि में धार विकास योजना 2021 में प्रस्तावित 30.00 मीटर एवं 18.00 मीटर चौड़े मार्ग है. उक्त प्रस्तावित मार्गों को विकास योजना अनुसार यथावत् रखना आवश्यक होगा.
4. प्रश्नाधीन भूमि के बीच से नाला गुजरता है. अतः मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख) अनुसार नाले के किनारे से दोनों ओर उसके उच्चतम जलस्तर से 9.0-9.0 मीटर खुली भूमि रखना आवश्यक होगा.
5. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.
6. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.
7. प्रश्नाधीन भूमि में से विद्युत् लाइन गुजरती है. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 52 के अनुसार विद्युत् लाइन से नियमानुसार न्यूनतम खुला क्षेत्र अथवा संबंधित विभाग के नियमानुसार जो भी अधिक हो खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा तथा विद्युत् लाइनों के पास छोड़ी गई खुली भूमि में एवं उसके नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा.
8. धार विकास योजना 2021 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा.
9. आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व में स्थित धूप तालाब का मुख्य जल स्रोत आवेदित भूमि के मध्य से है जो कि उक्त भूमि को दो भागों में विभक्त करता है, अतः आवेदित भूमि के मध्य में 50.00 मीटर भूमि जल प्रवाह हेतु सुरक्षित छोड़ना होगा, उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा.
10. आवेदित भूमि में से प्रवाहित होने वाले जल के नैसर्गिक प्रवाह को अवरुद्ध न किया जायें.
11. राजस्व अभिलेख में दर्ज वर्तमान श्मशान की भूमि को यथावत् श्मशान प्रयोजन हेतु खुला रखना अनिवार्य होगा.
12. प्रश्नाधीन भूमि के समीप विद्यमान जलाशय (धूप तालाब) के एफ.टी.एल. से 100 मीटर तक की दूरी में किसी भी प्रकार का निर्माण निषिद्ध होगा. इस क्षेत्र को सुरक्षित खुला रखने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में देशी प्रजाति का सघन वृक्षारोपण करना चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए अनिवार्य होगा.
13. उपरोक्त उपांतरण धार विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 4 नवम्बर 2025

क्र. 2698-एसडब्ल्यू-एफ-171-2025.- पुलिस अधीक्षक, देवास का पत्र क्रमांक-पुअ-देवास-एसी-197-2025, देवास, दिनांक 17 जून 2025 के अनुसार नवीन थाना कमलापुर, थाना बागली एवं थाना हाटपीपल्या के सीमा क्षेत्रों के परिसीमन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव माननीय विधायक श्री मुरली बनेसिंह भवरा, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत अवल्दा, चापड़ा, लखवाड़ा, मुकुन्दगढ़, भमौरी बिज्जुखेड़ा, पितावली, गुराडियाकला, अमरपुरा एवं ग्रामवासियों द्वारा सहमति प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के प्रावधान अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमा का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं।

अतः, मैं, ऋतु राज, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 46) (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए, निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग बागली के पुलिस चौकी क्षेत्र कमलापुर के 17 ग्रामों को जन सुविधा एवं प्रशासकीय सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, थाना कमलापुर हेतु परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ :-

क्र.	विधान सभा	थाना जिसमें अपवर्जित किया जाना है	क्षेत्र का नाम	थाना जिसमें सम्मिलित किया जाना है	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	बागली	कमलापुर	चापड़ा	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
02	बागली	कमलापुर	अमरपुरा	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
03	बागली	कमलापुर	अम्बाझर	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
04	बागली	कमलापुर	भमौरी	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
05	बागली	कमलापुर	गुराडियाकला	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
06	बागली	कमलापुर	मुकुन्दगढ़	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
07	बागली	कमलापुर	इकलेरा	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
08	बागली	कमलापुर	माकडिया	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
09	बागली	कमलापुर	गुनेरा	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
10	बागली	कमलापुर	गुनेरी	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
11	बागली	कमलापुर	लखवाड़ा	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
12	बागली	कमलापुर	अवल्दा	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
13	बागली	कमलापुर	अवल्दी	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
14	बागली	कमलापुर	गोपालपुरा	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
15	बागली	कमलापुर	तिस्सी	बागली	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
16	बागली	कमलापुर	देवपीपल्या	हाटपीपल्या	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण
17	बागली	कमलापुर	पितावली	हाटपीपल्या	वर्तमान थाने से अधिक दूरी होने के कारण

क्र. 2700-एसडब्ल्यू-एफ-171-2025.- पुलिस अधीक्षक, देवास का पत्र क्रमांक-पुअ-देवास-एसी-143-बी-2025, देवास, दिनांक 9 जून 2025 के द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित नोटशीट नवीन थाना रामपुर क्षिप्रा देवास को बनाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. उक्त प्रस्ताव की अनुशंसा माननीय विधायक श्री मनोज चौधरी सरपंच/सचिव जनपद पंचायत देवास, ग्राम पंचायत सुकल्या (क्षिप्रा) एवं ग्रामीण जनों द्वारा सहमति दी गई है. मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के प्रावधान अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमा का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

अतः, मैं, ऋतु राज, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 46) (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित अनुभाग देवास अंतर्गत थाना औ. क्षेत्र से 28 ग्रामों को पृथक् करते हुए नवीन थाना निर्माण हेतु जनसुविधा एवं प्रशासकीय सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नवीन थाना रामपुर क्षिप्रा हेतु परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ :-

क्रमांक	ग्राम-मोहल्ले का नाम	वर्तमान थाने का नाम	प्रस्तावित थाने से		प्रस्तावित थाने से		क्षेत्रफल वर्ग किमी	जनसंख्या	वार्षिक अपराध
			दूरी किमी	दिशा	दूरी किमी	दिशा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	अमोना	औद्योगिक क्षेत्र	03	पश्चिम	3.5	उत्तर	2	6500	44
2	सर्वोदय नगर	औद्योगिक क्षेत्र	3.5	पश्चिम	04	उत्तर	1	1200	17
3	शांतीनगर	औद्योगिक क्षेत्र	3.5	पश्चिम	04	उत्तर	1	1500	10
4	लोहार पिपल्या	औद्योगिक क्षेत्र	06	पश्चिम	02	उत्तर	1	1750	26
5	दुमनी	औद्योगिक क्षेत्र	8.5	पश्चिम	02	पश्चिम	1	450	15
6	हवनखेडी	औद्योगिक क्षेत्र	09	पश्चिम	02	पश्चिम	1	1250	05
7	गदर्शपिपल्या	औद्योगिक क्षेत्र	07	पश्चिम	03	पश्चिम	2	1400	04
8	संजय नगर	औद्योगिक क्षेत्र	03	पश्चिम	04	उत्तर	1	2500	19
9	बिंजाना	औद्योगिक क्षेत्र	05	पश्चिम	04	उत्तर	1	3000	17
10	क्षिप्रा	औद्योगिक क्षेत्र	07	दक्षिण	01	पूर्व	2	5500	117
11	सुखलिया	औद्योगिक क्षेत्र	08	दक्षिण	1.5	पूर्व	1	2900	08
12	अलीपूर	औद्योगिक क्षेत्र	06	पश्चिम	02	पश्चिम	0-5	600	06
13	सुतारखेड़ा	औद्योगिक क्षेत्र	12	दक्षिण	06	पूर्व	0-3	200	00
14	सुनवानी महाकाल	औद्योगिक क्षेत्र	8.4	दक्षिण	03	पूर्व	2	2500	04
15	कुमारिया	औद्योगिक क्षेत्र	11	दक्षिण	04	पूर्व	2	850	07
16	नागोरा	औद्योगिक क्षेत्र	10	दक्षिण	3.5	पूर्व	1	800	02
17	नारायणगढ़ मकोडिया	औद्योगिक क्षेत्र	10	दक्षिण	3.5	पूर्व	1	700	04
18	छोटा टिगरिया	औद्योगिक क्षेत्र	13	दक्षिण	08	पूर्व	2	1400	07
19	टिगरिया गोगा	औद्योगिक क्षेत्र	19	दक्षिण	12	पूर्व	2	3500	15
20	छापरी	औद्योगिक क्षेत्र	15	दक्षिण	08	पूर्व	1	1100	03
21	सिल्वर पार्क	औद्योगिक क्षेत्र	6.2	दक्षिण	01	पूर्व	0-2	600	01
22	नागदा	औद्योगिक क्षेत्र	06	दक्षिण	09	पूर्व	2	5500	37
23	पालनगर	औद्योगिक क्षेत्र	05	दक्षिण	08	पूर्व	2	5100	31
24	झाँझरवाड़ी	औद्योगिक क्षेत्र	17	दक्षिण	12	पूर्व	0.5	450	01
25	पाडलिया	औद्योगिक क्षेत्र	18	दक्षिण	13	पूर्व	0.5	400	01
26	भरियां बावड़ी	औद्योगिक क्षेत्र	16	दक्षिण	11	पूर्व	0.5	350	01
27	गांगरदी	औद्योगिक क्षेत्र	15	दक्षिण	10	पूर्व	0.5	1100	02
28	निवानिया	औद्योगिक क्षेत्र	16	दक्षिण	11	पूर्व	0.5	800	02

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्र. 2359-1029-2025-पचास-2.- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रमांक	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मुरैना	मुरैना	श्रीमती रुपम तोमर, JMFC

No. 2359-1029-2025-L-2 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:-

Schedule

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Morena	Morena	Smt. Roopam Tomar, JMFC

क्र. 2361-1047-2025-पचास-2.- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रमांक	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धार	धार	श्रीमती रेखा द्विवेदी, JMFC

No. 2361-1047-2025-L-2 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:-

Schedule

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dhar	Dhar	Smt. Rekha Dwivedi, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
छतरपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2025

क्र.एफ-1-6-25-रा.स.-यू.ए.-1-1082.-यतः, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52(1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक 1325-3707285-2025-अड़तीस-3, दिनांक 28 नवम्बर 2025 जारी की है, जो कि दिनांक 28 नवम्बर 2025 से प्रभावशील हो गई है.

2. अतः, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत एतद्वारा डॉ. राकेश सिंह कुशवाहा, प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान एवं कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ.

3. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, आयुक्त, भू संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 2 दिसम्बर 2025

प्ररूप-बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020**भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ**

क्र.1548-भू-सर्वेक्षण-2025.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हत्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बैतूल	चिचोली	मूल ग्राम-कटकुही मजरा ग्राम-डोलियाढाना	32	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
2	बैतूल	चिचोली	मूल ग्राम-धनियाजाम मजरा ग्राम-डोलजाम	13	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
3	बैतूल	चिचोली	मूल ग्राम-देवपुर मजरा ग्राम-कोटमी	25	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
4	बैतूल	चिचोली	मूल ग्राम-खैरी मजरा ग्राम-टेकाबन	24	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
5	बैतूल	भैंसदेही	मूल ग्राम-सायगोहान मजरा ग्राम-नकटीढाना	65	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
6	बैतूल	भैंसदेही	मूल ग्राम-केरपानी मजरा ग्राम-दादूढाना	61	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
7	बैतूल	भीमपुर	मूल ग्राम-गुराडिया मजरा ग्राम-सोतखेड़ा	42	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)
8	बैतूल	प्रभातपट्टन	मूल ग्राम-सिरसावाड़ी मजरा ग्राम-चन्दौराकला	50	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)

क्रमांक 02

ग्वालियर, दिनांक 4 दिसम्बर 2025

क्र.1475-भू-सर्वेक्षण-2025.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हत्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	विदिशा	विदिशा	विदिशा नगरीय क्षेत्र (सम्पूर्ण)	—	नगरीय

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

राज्य शासन के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 21 नवम्बर 2025

भू-अर्जन प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2088-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है: अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुरबाघेलान	त्योंधरी	5.0150	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत पडरिया वितरिका की त्योंधरी माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2089-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है: अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	उजरौंदा	8.7036	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2090-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	घुघुवार	1.2336	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की जैतवारा उप वितरिका की जैतवारा माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2091-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	खडौरा	7.5284	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2092-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	रौंड़	17.3914	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2025

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट संबंधी अधिसूचना

भू-अर्जन प्र.क्र.-1-अ-82-2025-26.-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन; बुरहानपुर की ओर से पत्र क्रमांक 3572-कार्य. 1-22, दिनांक 17 अक्टूबर 2025 कलेक्टर महोदय, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर बताया कि प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ग्राम पांगरी की भूमि का लोकहित में भू अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, हर्षसिंह, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य, मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर	खकनार	19	पांगरी	237.110	पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना
योग:					237.10	

नोट :-उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट संबंधी अधिसूचना

भू-अर्जन प्र.क्र.-2-अ-82-2025-26.-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, बुरहानपुर की ओर से पत्र क्रमांक 3574-कार्य. 1-23, दिनांक 17 अक्टूबर 2025, कलेक्टर महोदय, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर बताया कि प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ग्राम बसाली की भूमि का लोकहित में भू अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, हर्षसिंह, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य, मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर	खकनार	17	बसाली	72.231	पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना
योग:					72.231	

नोट :-उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्ष सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-336-337-भू-अर्जन-2025

शाजापुर, दिनांक 6 नवम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक/ 0001/अ-82/2024-25 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में एक आपत्ति का निराकरण धारा 15 के अंतर्गत किया गया तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 7 में वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन (शुजालपुर से सम्पार कं 79 स्थित लेटवे फाटक पर आर.ओ.बी. निर्माण हेतु भूमि का अर्जन) के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है । धारा 12 की कार्यवाही के उपरांत सम्पत्ति का नुकसान नहीं होने से धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही की जाना आवश्यक नहीं है । अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कालम नं 7 में वर्णित भूमि लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

भूमि का विवरण:-

(क)	जिला:- शाजापुर						
(ख)	तहसील :- शुजालपुर						
(ग)	ग्राम:- करबा शुजालपुर , कमलिया, शुजालपुर आवादी						
(घ)	क्षेत्रफल निजी भूमि:- रकबा 1112.11 (वर्गमीटर)						

:- अनुसूची :-

कं	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा कं.	भूमि का कुल रकबा है, में	अर्जित की जाने वाली भूमि का			अन्य विवरण
				आवासीय	व्यवसायिक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
सोसायटी सहकारी बैंक से रेल्वे फाटक की ओर करबा शुजालपुर							
1	सुनिल कुमार देथल पिता नकजीराम	1951	4.640	0.00	3.66	3.66	
2	नेहा पति स्व. नरेन्द्र चितले	1951	4.640	7.32	0.00	7.32	रिक्त
3	पदमकुमार पिता बसन्तीलाल	1951/ 12/1/2	4.640	0.00	9.12	9.12	
4	डा. निर्मल जैन पिता बसन्तीलाल	1951/ 12/1/1	4.640	0.00	0.76	0.76	
5	विक्रमसिंह सागरसिंह भरतसिंह भोजराज पुत्रगण रामनारायण लखनसिंह पिता कुव्वरलाल	1951/9 शान.1951/10.11	4.640	0.00	19.07	19.07	
6	डः दीपचन्द्र सुराना पिता रतनलाल सुराना	1951/3/1	4.640	0.00	1.20	1.20	
7	राजकुमार अर्जुनसिंह भीमसिंह महेन्द्रसिंह पिता बापुलाल	1951	4.640	0.00	8.10	8.10	
8	अनिता पति मनमोहन यादव तलेन	1951	4.640	0.00	2.77	2.77	
9	संदीपकुमार पिता बाबुलाल नेमा	1951	4.640	0.00	4.42	4.42	
10	सौरभ,सपन नेमा पिता निरंजन नेमा	1951	4.640	0.00	4.25	4.25	
11	हेमलता पति कैलाश सोनानिया	1951	4.640	0.00	5.20	5.20	
12	संगीता नेमा पति गौरीशंकर नेमा	1951/2/9582/1/2	4.640	0.00	7.38	7.38	
13	हरिसिंह पिता चुन्नीलाल परमार मेहरखेडी	1951/2/9582/1 1	4.640	0.00	7.44	7.44	
14	प्रहलादसिंह पिता बलदेव सिंह परमार	1951/2/9	4.640	0.00	7.36	7.36	
15	माखनसिंह पिता लाडसिंह परमार पटलावदा	1951	4.640	0.00	4.64	4.64	
16	मुन्नीदेवी पति आनन्दीलाल नेमा	1951/23/28 शान. 1951/26.1952/3	4.640	0.00	5.44	5.44	
17	जसवंत सिंह,विक्रमसिंह पिता कन्हैयालाल मरुघाट	1951	4.640	0.00	5.49	5.49	
18	हरिचरण पिता तखतसिंह	1951/23/24 शान. 1951/23.1952/3	4.640	0.00	4.96	4.96	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा क्रं.	भूमि का कुल रकबा हे. में	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण वर्गमीटर में			अन्य विवरण
				आवासीय	व्यवसायिक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	लीलादेवी पति शादीलाल राठौर	1951	4.640	0.00	6.83	6.83	
20	हरीश कुमार पिता जैनपाल जैन	1951	4.640	0.00	6.83	6.83	
21	जेतु सिंह प्रेमसिंह पिता बापुसिंह	1951 शा.नं.1952	4.640, 1.244	0.00	9.98	9.98	
22	प्रकाशचन्द्र पिता शान्तीलाल अग्रवाल	1951/33 शान.1952/5	4.640, 1.244	0.00	8.09	8.09	
23	रमेशचन्द्र पिता भगवतराव देशमुख	1951 शा.नं.1952	4.640, 1.244	0.00	25.24	25.24	
24	दिलीप पाटीदार पिता बद्रीप्रसाद पाटीदार	1951/29/5	4.640	0.00	8.67	8.67	
25	सरिता पति रामनारायण	1951	4.640	0.00	10.29	10.29	
26	सन्तोष पति भागीरथ	1951/29/3 शान.1952/6	4.640, 1.244	0.00	16.70	16.70	
27	माखनसिंह पिता राधाकिशन	1951	4.640	0.00	7.02	7.02	
28	मानसिंह, हुकमसिंह, मोजीलाल, जगदीश पुत्रगण हरीनारायण	1951	4.640	0.00	8.88	8.88	
29	गीताबाई पिता कन्हैयालाल पाटीदार	1951	4.640	0.00	9.80	9.80	
30	हरजित कोर पति राजेन्द्रसिंह	1951	4.640	0.00	9.80	9.80	
31	राजेन्द्रसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह	1951	4.640	0.00	11.36	11.36	
32	केशरसिंह मोहनलाल पिता कुवंरजी व हुकमसिंह जगदीश रामसिंह पिता बाबुलाल	1951	4.640	0.00	3.66	3.66	
33	केशरसिंह मोहनलाल पिता कुवंरजी व हुकमसिंह जगदीश रामसिंह पिता बाबुलाल	1951	4.640	0.00	2.44	2.44	
34	केशरसिंह मोहनलाल पिता कुवंरजी व हुकमसिंह जगदीश रामसिंह पिता बाबुलाल	1951	4.640	0.00	0.61	0.61	
35	सन्तोष पिता भागीरथ	1951/30 शान.1952/7	4.640, 1.244	0.00	1.28	1.28	
36	सरस्वतीबाई पति सन्तोष	1951/30 शान.1952/7	4.640, 1.244	0.00	1.19	1.19	
37	लीलाधर पिता सिद्धालाल	1951/30 शान.1952/7	4.640, 1.244	0.00	1.19	1.19	
कमलिया की भूमि							
38	शेलेन्द्र अग्रवाल पिता गोपालकृष्ण, बसंतीदेवी पति गोपालकृष्ण	206 /4	0.052	0.00	6.75	6.75	
39	हरजीतकौर पति राजेन्द्रसिंहकौर	206 /4	0.052	0.00	6.75	6.75	
40	विश्वजीत पिता सर्जेराव जाधव, राजेन्द्र आदित्य जाधव पिता विश्वजीत जाधव	203	0.021	0.00	6.84	6.84	
41	मांगीलाल पिता बिहारीलाल यादव	201	0.010	15.41	0.00	15.41	
42	विजेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह	206 /6	0.021	17.53	0.00	17.53	
43	सावित्री देवी पति विजेन्द्रसिंह	205	0.021	17.53	0.00	17.53	
44	देवेन्द्रसिंह पिता विजेन्द्रसिंह	206 /2	0.021	17.53	0.00	17.53	
45	अनिलकुमार पिता बाबुलाल भण्डारी	206	0.021	0.00	4.14	4.14	
46	प्रकाशसणस पिता यशवंतराव सणस	207 /1/3	0.010	0.00	6.94	6.94	
47	संजयसणस पिता रामचन्द्रराव	207	0.025	0.00	7.70	7.70	
48	सुभाष सणस पिता स्व. लक्ष्मणराव सणस	207 /1/1	0.219	11.63	0.00	11.63	
49	रामकन्या बाई पति जगदीशप्रसाद चौरसिया	207	0.219	12.24	0.00	12.24	
50	मुकेश बोरासी पिता रामसिंह	207	0.219	10.47	0.00	10.47	
51	अशोक देशमुख पिता श्यामराव देशमुख	207	0.219	23.04	0.00	23.04	

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा हे. में	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण वर्गमीटर में			अन्य विवरण
				आवासीय	व्यवसायिक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	कौरल्याबाई पति रामप्रसाद	207	0.219	23.75	0.00	23.75	
53	गोविंद रायकवार पिता महादेव	207	0.219	28.36	0.00	28.36	
54	रज्जुलाल पिता छितरमल	207	0.219	33.64	0.00	33.64	
55	मुन्नालाल पिता सुजानसिंह	208	0.125	24.36	0.00	24.36	
56	सिद्धनाथसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपुत	208 / 4	0.125	37.70	0.00	37.70	
57	सुगनदेवी पति बाबुलाल मालवीय	208	0.125	37.70	0.00	37.70	
58	पारस पिता किशनलाल	208	0.125	31.61	0.00	31.61	
59	शंकरलाल पिता नन्नेलाल	208	0.125	58.58	0.00	58.58	
60	पारस पिता किशनलाल	208	0.125	56.32	0.00	56.32	
शुजालपुर आबादी नम्बर							
61	जगदीश यादव पिता परमलाल	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	67.84	0.00	67.84	
62	मोहनलाल पिता जुगलकिशोर जाट	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	27.41	0.00	27.41	
63	कमलाबाई पति देवनारायण देशवाली	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	36.52	0.00	36.52	
64	मांगीलाल मदनलाल मोहनलाल पिता धनसिंह विश्वकर्मा	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	52.80	0.00	52.80	
65	रमेश पटेल पिता कोमलप्रसाद	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	0.00	21.25	21.25	
सेंट्रल बैंक से पुलिस चौकी/रेल्वे फाटक की ओर कस्बा							
66	नितीक पिता गोपाल नेमा	1964 / 1 / 50 / 2	1.195	0.00	3.72	3.72	
67	शिवशंकर, ब्रजमोहन पिता जगन्नाथ नेमा	1960	4.640	0.00	4.34	4.34	
68	बंसतीलाल गोपालदास पिता जगन्नाथ नेमा	1960	4.640	0.00	4.34	4.34	
69	राजेश पिता राधेश्याम वर्मा	1960 / 2 / 5 / 1	0.009	0.00	8.28	8.28	
70	योगेश शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा	1960 / 2 / 5 / 2	4.640	0.00	3.41	3.41	
71	राजकुमार, त्रिलोक पिता स्व.छोटेला नेमा	1960	4.640	0.00	5.27	5.27	
72	गिरधारी, मोहनसिंह पिता रमेशचंद्र परमार	1960 / 2 / 8	4.640	0.00	8.39	8.39	
73	देवेन्द्र जैन पिता मेधराज	1960 / 2 / 4	4.640	0.00	8.39	8.39	
74	द्वारका अग्रवाल पिता बालमुकुन्द	1963 / 5	1.432	17.60	0.00	17.60	रिक्त
75	नवनीतसिंह, अर्पिता, अजमानी पिता जसवीरसिंह, बलवीरसिंह कौर बैवा जसवीरसिंह, सुरिन्दर सिंह पिता जोगेन्द्र सिंह	1963 / 4	1.432	0.00	27.84	27.84	
76	ऋषि अग्रवाल पिता ओमप्रकाश	1964 / 3 / 1 / 2 / 1	4.640	0.00	2.59	2.59	
77	सतीश जैन पिता ओमप्रकाश जैन	1964 / 3 / 1 / 2 / 2	4.640	0.00	2.59	2.59	
78	विनोद अग्रवाल पिता हरदिलाश	1964 / 2, 1964 / 3	4.640	0.00	31.35	31.35	
79	दादावाडी समिति	1964 / 5	4.640	0.00	22.70	22.70	
80	गोविन्द प्रसाद पिता भैयालाल	1965	3.135	0.00	0.26	0.26	
81	रमेश चन्द्र पिता भैयालाल	1965	3.135	0.00	0.26	0.26	
योग:-				666.89	445.22	1112.11	

नोट:- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र.-456-457-भू-अर्जन-2025

शाजापुर, दिनांक 21 नवम्बर 2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए पस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर/ भू अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :-

:- अनुसूची (01) :-

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			सर्वे कं.	अर्जन हेतु रकबा (हे. मे)		
1	2	3	4	5	6	7
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1387	0.073	कार्य पालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग शाजापुर	खरदौनकला से उगली होते हुए शुजालपुर तक मुख्य जिला मार्ग निर्माण करने की परियोजना
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1362	0.470		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2407 शा.न. 2413	0.125		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2408	0.021		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2414	0.021		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2415	0.083		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2416	0.073		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2400/1	0.042		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1659/1	0.146		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2399/2	0.031		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1650	0.167		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1652	0.105		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1656/1	0.136		

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			सर्वे कं.	अर्जन हेतु रकबा (हे. मे)		
1	2	3	4	5	6	7
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1607/1 शा.न. 1612/1, 1620/3, 1620/1, 1621/2, 1630, 1638/1 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1653/1, 1659/3, 2392/2, 2398	0.052	कार्य पालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग शाजापुर	मुख्य जिला मार्ग खरदीनकला से उगली होते हुए शुजालपुर तक निर्माण करने की परियोजना
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1660/3	0.052		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1659/7	0.052		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1660/1	0.063		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1659/5	0.168		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1664/7 शा.न. 1659/4	0.046		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1662/1/3	0.046		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1659/6	0.084		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1663/2 शा.न. 1664/2, 1664/3, 1664/4, 1677/1, 1678/5	0.173		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1670/2/1/1/ 1/1	0.264		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1670/2/2	0.021		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1683/1/1	0.073		

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			सर्वे कं.	अर्जन हेतु रकबा (हे. मै)		
1	2	3	4	5	6	7
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1690/3 शा.न. 1699/4, 1689/2626/ 2	0.073	कार्य पालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग शाजापुर	मुख्य जिला मार्ग खरदौनकला से उगली होते हुए शुजालपुर तक निर्माण करने की परियोजना
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1684/1/3	0.021		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1687/1	0.010		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1684/2 शा.न. 1686/2, 1687/2	0.083		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2140/1/3 शा.न. 2140/2	0.052		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2140/1/2 शा.न. 2140/2	0.052		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1689/1	0.031		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	1689/2/1 शा.न. 1692/1 (रकबा 0.335)	0.031		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2137	0.021		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2136/1	0.146		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2161	0.105		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2162	0.063		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2171	0.042		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2169/2	0.042		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2264/1	0.073		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2265/1/1	0.082		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2267/1	0.062		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2264/2	0.073		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2265/3	0.063		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2420/2	0.021		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2262	0.301	कार्य पालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग शाजापुर	मुख्य जिला मार्ग खरदौनकला से उगली होते हुए शुजालपुर तक निर्माण करने की परियोजना
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2249	0.177		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2250	0.011		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2251	0.941		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2516/1/1	0.058		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2516/1/2	0.126		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2516/2/1	0.118		
शाजापुर	शुजालपुर	शुजालपुर	2516/2/2	0.118		
			53	5.583		

:- अनुसूची (02) :-						
क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा हे. में	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण रकबा में		
				असिंचित	सिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
कसबा शुजालपुर						
1	माफो श्री राधाकृष्ण मन्दिर माफो ओकाफ 3-2 भू व्यवस्थापक जिलाध्यक्ष महोदय शाजापुर	1387	1.7030	0.000	0.073	0.073
2	मिलिन्द पिता गजानंदराव वाकणकर नीलिमा पोते सीताराम जाति ब्राह्मण मधुसूदन पुत्रगण राजाराम ऊर्फ राजा भैया वाकणकर जाति ब्राह्मण गजानंद राव सुरेश ऊर्फ सीताराम मधुसूदन पिता राजाराम सुधाबाई पिता राजाराम जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भूमि स्वामी	1362	5.7490	0.000	0.470	0.470
3	माफो दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफो दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2407 शा.न. 2413	0.5020	0.125	0.00	0.125
4	माफो दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफो दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2408	0.0420	0.021	0.00	0.021
5	माफो दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफो दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2414	0.3140	0.021	0.00	0.021
6	माफो दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफो दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2415	0.8260	0.083	0.00	0.083
7	माफो दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफो दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2416	0.2090	0.073	0.00	0.073
8	माफो दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफो दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2400/1	0.7110	0.042	0.00	0.042
9	सत्यजीतसिंह पिता सत्यप्रसन्नजीतसिंह देखमुख जाति मराठा निवासी ग्राम	1659/1	0.2400	0.000	0.146	0.146
10	सत्यजीतसिंह पिता सत्यप्रसन्नजीतसिंह देखमुख जाति मराठा निवासी ग्राम	2399/2	0.1670	0.031	0.00	0.031
11	शेरबानो पोते करीम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1650	1.2230	0.000	0.167	0.167
12	शेरबानो पोते करीम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1652	0.2400	0.000	0.105	0.105
13	शेरबानो पोते करीम खां चंदा बी पोते फकरुद्दीन खां असलम खां अकरम खां इजराइल खां पिता इब्राहिम खां रुकसार बी पति राजु खां शबाना बी पति शाकिर खां शाहरुखखां पिता अकरम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1656/1	1.3690	0.000	0.136	0.136
14	प्रिय दर्शन संजीव हर्षवर्धन पिता प्रतापराव जाति मराठा हि 1/2 शिरीष राजीव वन्दनाप्रताप पिता शिवाजी जाति मराठा हि 1/2 भूमि स्वामी	1607/1 शा.न. 1612/1, 1620/3, 1620/1, 1621/2, 1630, 1638/1 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1653/1, 1659/3, 2392/2, 2398	15.3870	0.000	0.052	0.052
15	शहाना बी पोते रहीम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1660/3	0.4810	0.000	0.052	0.052
16	सरताज बी पोते इसरार खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1659/7	0.8570	0.000	0.052	0.052
17	इरफाना बी पोते इसलाम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1660/1	0.2090	0.000	0.063	0.063

18	जरीना बी पति शहजाद खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1659/5	0.8570	0.000	0.168	0.168
19	शहाना बी पति रहींस खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1664/7 शा.न. 1659/4	0.5230	0.000	0.046	0.046
20	इसरार खां पिता नन्ने खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1662/1/3	0.2710	0.000	0.046	0.046
21	इरफाना बी पति इसलाम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1659/6	0.8570	0.000	0.084	0.084
22	आनन्दाबाई पत्नी बाबूलाल जाति अहीर निवासी ग्राम	1663/2 शा.न. 1664/2, 1664/3, 1664/4, 1677/1, 1678/5	2.4660	0.000	0.173	0.173
23	रूपनारायण पिता काशीराम जाति कुम्हार सिद्ध रमेश अमरसिंह जगन्नाथ पिता रामरतन कृष्णाबाई जमनाबाई पुत्री रामरतन नादानीबाई बेवा रामरतन गोरेलाल राधेश्याम माखन घनश्याम पिता मेहताब दल्लूबाई बेवा मेहताब कैलाश देवकरण पिता माधव सिंह राजलबाई पति बलदेव माया मनीषा पिता बलदेव जाति चमार श्यामाबाई पति कपिल जाति गाडरी महेश अहिरवार पिता हजारीलाल जाति चमार निवासी ग्राम	1670/2/1/1/1/1	1.4787	0.000	0.264	0.264
24	शबनम बी पति अमीरउल्ला जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1670/2/2	0.2090	0.000	0.021	0.021
25	किरणबाई पुत्री कैलाश राकेश प्रमोद पिता कैलाश जाति लोहार शाहरूख खां पिता शरीफ खां जाति मुसलमान	1683/1/1	1.2401	0.000	0.073	0.073
26	अचरजबाई विधवा हजारीलाल कृष्णाबाई पुत्री हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम	1690/3 शा.न. 1699/4, 1689/2626/2	0.2310	0.073	0.00	0.073
27	कलाबाई विधवा कैलाश राकेश प्रमोद पिता कैलाश किरणबाई पुत्री कैलाश, प्रहलाद, महेश कमल, जगदीश, सुरेश, दीपक पिता मांगीलाल, घीसीबाई विधवा मांगीलाल गौरीशंकर पिता मोतीलाल जाति लोहार निवासी ग्राम	1684/1/3	0.9120	0.000	0.021	0.021
28	कलाबाई विधवा कैलाश राकेश प्रमोद पिता कैलाश किरणबाई पुत्री कैलाश, प्रहलाद, महेश कमल, जगदीश, सुरेश, दीपक पिता मांगीलाल, घीसीबाई विधवा मांगीलाल गौरीशंकर पिता मोतीलाल जाति लोहार निवासी ग्राम	1687/1	0.0100	0.000	0.010	0.010
29	मुरलीधर पिता चंदरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम	1684/2 शा.न. 1686/2, 1687/2	1.2540	0.000	0.083	0.083
30	आफाक बेग पिता अलताफ बेग जाति मुसलमान निवासी ग्राम	2140/1/3 शा.न. 2140/2	2.4930	0.000	0.052	0.052
31	मिर्जा आफताब बेग पिता अलताफ बेग जाति मुसलमान निवासी ग्राम	2140/1/2 शा.न. 2140/2	2.4930	0.000	0.052	0.052
32	गणेश पिता हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम	1689/1	0.4180	0.000	0.031	0.031
33	संतोष पिता हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम	1689/2/1 शा.न. 1692/1 (रकबा 0.335)	0.9770	0.000	0.031	0.031
34	गौरव पिता राजेन्द्र राव नवाली पिता राजेन्द्र राव श्रीमती सुख बेवा राजेन्द्र राव जाति मराठा निवासी ग्राम	2137	1.8080	0.000	0.021	0.021
35	गौरव पिता राजेन्द्र राव नवाली पिता राजेन्द्र राव श्रीमती सुख बेवा राजेन्द्र राव जाति मराठा निवासी ग्राम	2136/1	0.2610	0.000	0.146	0.146
36	जितेन्द्र पुष्पद, रचना पिता संतोषकुमार धापूबाई बेवा संतोष कुमार शांताबाई विधवा रामचरण महेश कुमार ओमप्रकाश पिता रामचरण जाति माली निवासी ग्राम	2161	1.2850	0.000	0.105	0.105
37	दिलीपसिंह पिता रामसिंह जाति पंवार निवासी ग्राम	2162	0.8980	0.000	0.063	0.063
38	प्रेमबाई बेवा रामचरण जुझारसिंह पिता रामचरण जाति पंवार निवासी ग्राम	2171	0.0420	0.000	0.042	0.042

39	प्रेमबाई बेवा रामचरण जुझारसिंह पिता रामचरण जाति पंवार निवासी ग्राम	2169/2	1.0450	0.000	0.042	0.042
40	रमेश, डोंगरसिंह, रतनसिंह पिता भवरलाल, राजलबाई बेवा भवरलाल जाति माली निवासी ग्राम	2264/1	0.2780	0.000	0.073	0.073
41	रमेश, डोंगरसिंह, रतनसिंह पिता भवरलाल, राजलबाई बेवा भवरलाल जाति माली निवासी ग्राम	2265/1/1	0.4580	0.000	0.082	0.082
42	रमेश, डोंगरसिंह, रतनसिंह पिता भवरलाल, राजलबाई बेवा भवरलाल जाति माली निवासी ग्राम	2267/1	0.2240	0.000	0.062	0.062
43	बबलू पुष्पद, सोना पुष्पद पिता नारायणसिंह, भगवतीबाई बेवा नारायणसिंह हि 1/9 गोविंदसिंह पिता लाडसिंह हि 1/9 बद्रीलाल पिता लाडसिंह हि 1/9 कलाबाई पुत्री लाडसिंह हि 1/9 भूरीबाई पुत्री लाडसिंह हि 1/9 गिरजाबाई पुत्री लाडसिंह हि 1/9 रेखाबाई पुत्री लाडसिंह हि 1/9, कौशल्याबाई पुत्री लाडसिंह हि 1/9 दुगाबाई बेवा लाडसिंह हि 1/9 जाति माली निवासी ग्राम	2264/2	0.7150	0.000	0.073	0.073
44	मानसिंह अजुध्याबाई, गंगाबाई, मुन्नीबाई, विष्णुबाई, पुष्पाबाई पिता सिद्धलाल जाति माली निवासी ग्राम	2265/3	0.5340	0.000	0.063	0.063
45	रोहित पिता ज्ञानसिंह मेवाडा भाग 1/2 अनौस पठान पिता रईस पठान भाग 1/2	2420/2	0.0520	0.021	0.00	0.021
46	माफो दरगाह वडी शाहवासी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय शाजापुर वक्फ संपत्ति अहस्तातरणीय शाजापुर म.प्र. शासकीय संस्था	2262	6.9190	0.000	0.301	0.301
47	प्रिय दर्शन हर्षवर्धन सर्जोव पिता प्रतापराव उषादेवी बेवा प्रतापराव जाति मराठा हि 1/6 समभाग, शिरीषकुमार राजीवकुमार पिता शिवाजीराव विजयमाला बेवा शिवाजीराव जाति मराठा हि 1/6 समभाग, कमलाबाई बेवा रामराव हि 1/6, सत्येन्द्रसिंह सत्यवृत्तसिंह पिता विरेन्द्रसिंह भाग 1/3 समभाग, शिवाजीराव व विजयमाला बेवा शिवाजीराव भाग 1/6 समभाग, कमलाबाई बेवा रामराव भाग 1/6, सत्येन्द्रसिंह सत्यवृत्तसिंह जाति मराठा भूमि स्वामी	2249	0.3550	0.177	0.00	0.177
48	यशचन्द्र अमरेन्द्र विरेन्द्रसिंह पिता रमेशचन्द्र जाति मराठा भूमि स्वामी	2250	0.0520	0.000	0.011	0.011
49	यशचन्द्र अमरेन्द्र विरेन्द्रसिंह पिता रमेशचन्द्र जाति मराठा भूमि स्वामी	2251	8.3610	0.000	0.941	0.941
50	ज्ञानसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति गेहलोत निवासी अख्त्यारपुर भूमि स्वामी	2516/1/1	0.6970	0.000	0.058	0.058
51	केदारसिंह पिता गंगाराम, मुकेश पिता जगन्नाथ जगन्नाथ पिता नरबतसिंह रामराज मेवाडा पिता केदारसिंह मानसिंह पिता जगन्नाथ जाति गेहलोत निवासी अख्त्यारपुर भूमि स्वामी	2516/1/2	1.3930	0.000	0.126	0.126
52	राजीव पिता शिवाजीराव जाति मराठा	2516/2/1	1.3800	0.000	0.118	0.118
53	सिद्धनाथसिंह केदारसिंह पिता गंगाराम जाति गेहलोत	2516/2/2	2.1740	0.000	0.118	0.118
योग:-				0.667	4.916	5.583

नोट:- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 0002-अ-82-2025-26-भू-अर्जन-9770

बैतूल, दिनांक 25 नवम्बर 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	बडगी खुर्द	2.549	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैतूल	शीतलझिरी मध्यम उद्बहन सिंचाई परियोजना के जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	ढीमू पिता कल्लू, मनकी, सम्मो पुत्री कल्लू, गंगा पत्नी श्यामलाल, माहो पत्नी छन्नू, दुल्लू पत्नी सालक, मंघा पत्नी बाजी जाति गोंड पता बैतूल	3	3.930	0.275
2	छुट्टन, गिरधारी, दरबारी पिता लक्खू, बल्लोबाई पुत्री लक्खू जाति गोंड पता बैतूल	5/1	1.470	0.372
3	बबलू पुत्र सुन्दर, ललिता अनिता सलीता पुत्री सुन्दर जाति गोंड पता बैतूल	5/2	1.712	0.222
4	बबलू पुत्र सुन्दर, ललिता पुत्री सुन्दर जाति गोंड पता बैतूल	5/3	1.712	0.566
5	ढीमू पिता कल्लू जाति गोंड पता बैतूल	51	1.582	0.089
6	फुल्लो पत्नी मानसिंग, दीपक, रीपक पिता मानसिंग, देवली, रेवली, रामबाई पिता मानसिंग जाति गोंड पता बडगी खुर्द	52/3	1.793	0.169

7	फुल्लो पत्नी मानसिंग, दीपक , रीपक पिता मानसिंग, देवली, रेवली, रामबाई पिता मानसिंग , रामकली पुत्री हरेसिंग जाति गोंड पता बडगी खुर्द	52/4	2.023	0.453
8	कसिया पुत्री जददू जाति गोंड पता बैतूल	57/1/1	0.871	0.093
9	भिल्लू पुत्री जददू , कल्लोबाई , सुलो, सीरी पुत्री शिवदीन , कमलती बेवा कल्लू , नीतू पुत्री कल्लू, नितिन पिता कालू, रामरती, सीमा, शर्मिला, श्यामबती, रीना पुत्री कालू, फूसे पुत्री जददू जाति गोंड पता बैतूल	57/1/2	1.642	0.020
10	पतिराम पिता सोमा जाति गोंड पता बैतूल	58/1	0.224	0.129
11	मिन्दो पत्नी कुम्मा जाति गोंड पता बैतूल	58/2	0.226	0.032
12	रोवा , सुखदेव, गोरिलाल पिता फगनू , तारा, जगोती, सुगंति पुत्री फगनू, रतनी बेवा फगनू जाति गोंड पता बैतूल	60	1.441	0.129
	योग :-	12	18.626	2.549

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि शीतलझिरी मध्यम उद्धहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाँध निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की गई है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 03-अ-82-2024-25

राजगढ़, दिनांक 1 दिसम्बर 2025

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में बोरदाश्री जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ बोरदाश्री जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एंव वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण मे आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्र.	बोरदाश्री जलाशय विवरण	तहसील - खिलचीपुर अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	जिला राजगढ़
	निजी भूमि बोरदाश्री जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	रकबा	
1	ग्राम- बोरदाश्री जी की भूमि	5.837	
	योग	5.837	

अनुसूची (2)

बोरदाश्री जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण					
स. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	बक्सूलाल, बीरमलाल, बापूलाल, पांचुलाल पिता कालू रूगनाथ कालीबाई, कंचीबाई पुत्री रामलाल हिस्सा 1/2, बैजनाथ, प्रभुलाल मोडसिंह, रामचंद, बीरम पिता मन्ना, मांगीलाल पिता रामलाल पन्नी कंची हिस्सा 1/2 जाति लोडा निवासी ग्राम भू-स्वामी	103	0.619	0.080	
	योग	1	0.619	0.080	
2	काना, रामा पिता खच्छा हिस्सा बराबर 1/2, जाति लौडा निवासी ग्राम भू-स्वामी	70	0.304	0.050	
	योग	1	0.304	0.050	
3	किशन, अमरा, धूलीबाई, पानीबाई, प्रेमबाई पिता देवा हि. बराबर 1/5 जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी	69 200/44	0.356 0.379	0.250 0.200	
	योग	2	0.735	0.450	
4	शंकरलाल, रतनलाल, सौरमबाई पिता देवीलाल हि. बराबर 1/3 जाति लोडा निवासी ग्राम भू-स्वामी	124/44/1, 125/44/1 160/44/1	0.278 0.449	0.139 0.400	
	योग	3	0.727	0.539	

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
5	मांगीलाल पिता कालू हि. 1/2 कंचनबाई बेबा कालू हि. 1/2 जाति लोडा निवासी ग्राम भू-स्वामी	124/44/2, 125/44/2 160/44/2	0.278 0.049	0.139 0.025	
	योग	3	0.327	0.164	
6	बशी, चम्पी, काली पिता भेरु हि. बराबर 1/3 जाति लोडा निवासी ग्राम भू-स्वामी	150/44/1	0.253	0.125	
	योग	1	0.253	0.125	
7	किशन, मदन, गंगाराम पिता नाथु हि. बराबर 1/3 जाति लोडा निवासी ग्राम भू-स्वामी	150/44/3	0.506	0.250	
	योग	1	0.506	0.250	
8	फूलचंद, कल्याण पिता चम्पा हि. बराबर 1/2 जाति लोडा निवासी ग्राम भू-स्वामी	150/44/2 150/44/4	0.253 0.506	0.125 0.250	
	योग	2	0.759	0.375	
9	बरदा, पन्ना, नन्दा पिता गोपी, गुलाब बाई बेबा गोपी हि. बराबर 1/4 जाति लोडा निवासी ग्राम भू-स्वामी	150/44/5 161/44	0.506 0.150	0.253 0.150	
	योग	2	0.656	0.403	
10	चम्पा पिता भेरु जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी	201/44	0.571	0.571	
	योग	1	0.571	0.571	
11	नन्दा, प्यारा पिता श्रीलाल, गंगाराम, किशन पिता बद्धा, राधाकिशन, कालू पिता किशोर, रायसिंह, पन्ना पिता धन्ना, गेंदा पिता रायसिंह जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी	215/44	0.530	0.530	
	योग	1	0.530	0.530	
12	रामलाल, कालू, पंचा, रूगनाथ पिता खेमा, मोहन, नारायण, नन्दा पिता हीरा, भंवरी बेबा हीरा जाति लोडा निवासी ग्राम भू-स्वामी	214/44	0.757	0.253	
	योग	1	0.757	0.253	
13	भेरु पिता किशना, पुरीबाई पुत्री किशना हि. बराबर 1/2 जाति लोडा निवासी ग्राम भू-स्वामी	141/44	1.100	0.300	
	योग	1	1.100	0.300	
14	रेशमबाई पिता बापूलाल हि. 1/2, बापूलाल पिता गंगाराम हि. 1/2 जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी	211/44/1 207/44	0.134 0.125	0.134 0.125	
	योग	2	0.259	0.259	
15	कालू पिता गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी	211/44/3	0.445	0.445	
	योग	1	0.445	0.445	
16	परथा, प्रभु पिता भगौना हि. बराबर 1/2 जाति भील निवासी ग्राम भू-स्वामी	208/44	0.709	0.709	
	योग	1	0.709	0.709	
17	कालू पिता भंवरिया श्याम पिता कालू हि. बराबर 1/2 जाति चमार निवासी ग्राम भू-स्वामी	44/2	0.334	0.334	
	योग	1	0.334	0.334	
	कुल योग ग्राम बोरदा श्रीजी	25	9.591	5.837	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुवभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/ / भू-अर्जन/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा -- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वतर्गवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(7) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम सोनकच्छ		तहसील नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	0.207	-	0.207

अनुसूची(2)

स.क.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	पूर्व अवार्ड अनुसार रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मदनलाल पिता गोपीलाल जाति दांगी	603/3	0.172	0.040	0.092	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
2	मांगीलाल पिता जयराम जाति दांगी	603/4	0.173	0.073	0.090	
3	चम्पालाल पिता नरसिंहलाल जाति दांगी	655/2/2	0.506	-	0.025	
योग	भू-स्वामी -03	3	0.851	0.113	0.207	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, सोनकच्छ , जिला देवास

सोनकच्छ (देवास), दिनांक 2 दिसम्बर 2025

प्रारूप- "ख"

उद्घोषणा

(नियम-5 का उपनियम (2) के तहत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र. के पत्र क्रमांक 1085 दिनांक 25.03.2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंह चरण-॥ लिफ्ट माइक्रो उद्घवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम भांगरडी तहसील सोनकच्छ में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम कराडियामाहोर में भूमि गत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।

क्र.	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे. मे)	भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे. मे)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	अवतारसिंह पिता रामसिंह	240/1	0.340	0.082	
2	प्रकाशसिंह पिता अवतारसिंह	228/3	0.3000	0.049	
3		228/2	0.0700	0.009	
4		228/1	0.1700	0.040	
5	मीनाक्षी बाई बेवा लाखनसिंह	241/1	0.7300	0.050	
6	अवतारसिंह पिता रामसिंह, मीनाक्षी बेवा लाखनसिंह, कौशलसिंह पिता लाखनसिंह, राजेन्द्र पिता भीमसिंह	237	0.4100	0.030	
7	सौदराबाई पति नरबतसिंह	224	0.520	0.040	
8	मेहनपुरी पिता सिद्धु पुरी	226/1	0.360	0.031	

1- जिले का नाम - देवास

2- तहसील - सोनकच्छ

3- ग्राम - भांगरडी

4- भूमि को अर्जित रकबा 0.331 हे.

5- भूमि - सिंचित

6 -अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

7- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की रही है - आई.एस.पी. कालीसिंह चरण-॥ लिफ्ट माइक्रो उद्घवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

प्रारूप- "ख"
उद्घोषणा
(नियम-5 का उपनियम (2) के तहत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र. के पत्र क्रमांक 2492 दिनांक 28.07.2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1। लिफ्ट माइक्रो उद्घवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम कराडिया माहोर तहसील सोनकच्छ में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम कराडियामाहोर में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।

क्र.	भूमिस्वामी/अधिभोगीकानाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे. मे)	भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे. मे)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	मिठ्ठुबाई पति तेजसिंह	270	0.7300	0.7300	
2		272	0.3700	0.0030	
3		273	0.3400	0.0200	
4	अमित पिता धीरजसिंह	198 / 2	0.3100	0.0200	
5	सुरजसिंह पिता पर्वतसिंह	259 / 1	0.3500	0.0720	
6	भारतसिंह, जोजनसिंह पिता भेरूसिंह, बेगमबाई पति भेरूसिंह	259 / 2	0.3400		
7	हुकमसिंह पिता बलवंतसिंह	259 / 3	0.6800		
8	करणसिंह पिता नाथूसिंह पुत्र हमीरसिंह फुलसिंह तेजसिंह केशरसिंह पिता प्रलादसिंह, गुलाबबाई वि. प्रहलादसिंह, फुलकुवरबाई बेवा हरीसिंह,	258	0.7200	0.260	
	देवेन्द्रसिंह टीनाबाई सीमाबाई किरणबाई पिता हरीसिंह				

1- जिले का नाम - देवास

2- तहसील - सोनकच्छ

3- ग्राम - कराडिया माहोर

4- भूमि को अर्जित रकबा 0.2190 हे.

5- भूमि - सिंचित

6 -अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

7- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की रही है - आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1। लिफ्ट माइक्रो उद्घवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

प्रिया चन्द्रावत, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व).

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश**

प.क्र.-4332-रीडर-1-2025

बड़वाह, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

प्ररूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक- 158 /B-121/2025-28 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- बागदा बुजुर्ग, प.ह.नं. 24, रा.नि.मं.-बेड़िया, तहसील -सनावद, जिला - खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी उत्थापन), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- बागदा बुजुर्ग, प.ह.नं. 24,	53/3	0.355
			53/5	0.155
			48/1	0.145
			49/1	0.190
			31	0.291

अधिकारी 154
12/12/2025

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- बागदा बुजुर्ग, प.ह.नं. 24,	30	0.019
			32/1	0.009
			32/2	0.233
			18/1	0.047
			18/2	0.296
			20/1	0.004
			12/2	0.021
			13	0.020
			84/3	0.031
			8/4	0.305
			7/1	0.007
			7/2	0.123
			79	0.192
			82	0.080
			81/1	0.025
			81/2	0.084
			78/3	0.220
			96/1	0.043
			95	0.185
			94	0.064
			91	0.158
			203	0.111
			92	0.120
			202/2	0.505
			212/1	0.120
			212/5	0.230
कुल योग			31	4.388

सत्यनारायण दर्श, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

क्र.-175-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-02-अ-82-2025-26

नीमच, दिनांक 3 नवम्बर 2025

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच के द्वारा नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव लंबाई 21.20 किमी के लिए निजी भूमि अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम अरनियाकुमार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक 41, 42, 46/1, 46/2, 47, 48, 49/1, 62, 63, 64, 70/1, 70/2, 72, 86, 88, 89, 90, 92, 168, 169/5, 169/6, 169/7, 172/1, 172/2, 173, 176, 177, 181/1, 181/2, 185, 190, 191, 192, 193, 202, 203/1, 203/2/5, 304, 305, 315, 317, 318, 319, 348, 350, 353/1, 353/2, 353/3, 355, 356, 358 में से अधिग्रहित रकबा 6.7880 हे. की भूमि नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव बायपास मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम अरनियाकुमार से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4.5 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात की प्रारंभिक प्रक्रिया नवीन भू-अर्जन के प्रकरणों में करने संबंधी कार्य पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि " सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट-जहाँ 40 के अधीन आत्यंतिकता उपबंधों का अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है जहां समुचित सरकार सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी" उक्त योजना जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः ऐसी दशा में धारा 40 के प्रावधानानुसार अर्जेंन्सी का दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारित अध्ययन से छूट दी गई है।

भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेंगा। सरकार द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा- 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि भू-अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव बायपास मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम अरनियाकुमार	रकबा 6.7880 हेक्टर एवं निर्मित परिसंपत्ति

अनुसूची (2)

नीमच बायपास के संबंध में नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना मथागांव बायपास मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम अरनियाकुमार से प्रभावित भूमि का विवरण :- तहसील नीमचनगर व जिला नीमच

क्र.स.	सर्वेक्षण संख्यांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	धारा-12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	परिस्मरित का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	41	0.320	0.1080	तायराबाई पत्नी सेजादखा मुसलमान निवासी-बघाना	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच जिला नीमच	निरंक
2	42	2.080	0.1120	मोहम्मद साबीरखा पुत्र सम्मनखा मुसलमान निवासी-बघाना		निरंक
3	46 / 1	0.290	0.0460	अब्दुल सत्तार उर्फ सत्तारखा पुत्र सुभानखा मुसलमान निवासी-बघाना		निरंक
4	46 / 2	0.280	0.1720	अब्दुल सत्तार उर्फ सत्तारखा पुत्र सुभानखा मुसलमान निवासी-बघाना		निरंक
5	47	1.130	0.0100	शायराबाई बेवा रशीद मोहम्मद, रईस, नगीना, शाकीर पिता रशीदमोहम्मद, सद्दाम, अनिस नाबलिंग पिता रशीद मोहम्मद मुसलमान निवासी बघाना पठारी मोहल्ला		निरंक
6	48	0.300	0.0630	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
7	49 / 1	1.460	0.1980	नन्दुबाई पत्नी दीलतराम तेली निवासी बघाना		निरंक
8	62	1.600	0.1180	कंवरलाल पिता गणेशराम निवासी नीमच		निरंक
9	63	0.200	0.1300	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
10	64	1.140	0.0500	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
11	70 / 1	4.280	0.8000	नन्दुबाई बेवा दीलतराम, फतेलाल, बाबुलाल, सत्यनारायण पिता दीलतराम तेली निवासी-ग्राम		अमरुद पीछा 230
12	70 / 2	0.800	0.0130	दशरथ, त्रिलोकचन्द उर्फ तलकचन्द, सोहनलाल, पुत्र बाबुलाल तेली निवासी-स्कीम नंबर 08 नीमच		निरंक
13	72	0.850	0.0200	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
14	86	1.870	0.0200	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
15	88	0.880	0.0640	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
16	89	1.780	0.1440	हीरालाल पुत्र किशाना तेली निवासी धनैरियाकला		दयुबेल-1

17	90	5.300	0.3120	दीपक, प्रदीप पिता भरूलाल, अशोककुमार पिता जगन्नाथ, उर्मिलाबाई बेवा ओमप्रकाश व संतोष पिता ओमप्रकाश अहीर निवासी बघाना	निरंक
18	92	0.600	0.0200	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
19	168	1.990	0.0720	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
20	169 / 5	1.610	0.1300	गंगाबाई बेवा रामनारायण, मंजुबाई, संतोषबाई, सोनाबाई, दशरथ, व कैलाश पिता रामनारायण तेली निवासी- जागोली (तेलनखेड़ी)	निरंक
21	169 / 6	1.300	0.1100	घीसीबाई बेवा राजमल, विद्याबाई, गोविन्द पिता राजमल तेली निवासी ग्राम	निरंक
22	169 / 7	1.330	0.0900	गोपाल पिता भग्गा तेली निवासी ग्राम	निरंक
23	172 / 1	1.630	0.1000	कंकुबाई बेवा कालुराम, विनोद, विजय पिता कालुराम कुल्मी, निवासी बालाजी मार्ग जुना बघाना	निरंक
24	172 / 2	0.210	0.0720	कैलाशचन्द्र, शिवप्रकाश पिता वरदीचन्द्र व रमेशचन्द्र पिता चौधमल कसेरा निवासी नीमच	निरंक
25	173	0.100	0.0500	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
26	176	0.580	0.1960	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
27	177	0.070	0.0300	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
28	181 / 1	0.420	0.1800	जसवन्तसिंह, शेरसिंह पिता मानसिंह राजपुत निवासी ग्राम	निरंक
29	181 / 2	0.310	0.1000	जसवन्तसिंह, शेरसिंह पिता मानसिंह राजपुत निवासी ग्राम	निरंक
30	185	0.210	0.0200	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
31	190	0.160	0.0600	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
32	191	0.720	0.1100	ओमप्रकाश, चन्द्रकला, शशीकला पिता मनोहरलाल, माली निवासी नीमच	निरंक
33	192	0.420	0.2000	कमलाबाई पिता सीताराम, सुरेश पिता किशनलाल, अनुबाई, जमनाबाई, ओमप्रकाश पिता नारायण मीणा निवासी अरनिया कुमार	निरंक
34	193	0.140	0.0240	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
35	202	0.740	0.0160	मन्दिर श्रीनरसिंह माताजी स्थित ग्राम बघाना प्रबन्धक कलेक्टर नीमच मध्यप्रदेश शासन	निरंक
36	203 / 1	0.270	0.0240	मध्यप्रदेश शासन	निरंक

37	203/2 /5	0.360	0.0600	मितुल पिता घीसालाल मित्तल अग्रवाल निवासी नीमच	निरंक
38	304	1.530	1.400	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
39	305	0.360	0.0500	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
40	315	0.050	0.0200	लखमीचन्द्र पिता कालु, मगनीबाई पति कचरू धोबी भाग समान 1/4, बलरामदास चैला मोहनदास बैरागी निवासी नीमच भाग 1/2, अलका पति सत्यनारायण अग्रवाल निवासी- शंकर निवास चारमुजा मंदिर के पास छोटीसादड़ी राजस्थान भाग 1/4	निरंक
41	317	0.480	0.0900	मंहत एवं व्यवस्थापक रामदास गुरु नारायणदास बैरागी निवासी हरीद्वार व बघाना एवं मूर्ति श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर बघाना	निरंक
42	318	0.030	0.0050	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
43	319	0.750	0.0400	मंहत एवं व्यवस्थापक रामदास गुरु नारायणदास बैरागी निवासी हरीद्वार व बघाना एवं मूर्ति श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर बघाना	निरंक
44	348	0.700	0.0500	दीपककुमार पिता गोपाल सिंहल, निवासी नीमच, रमेश पिता सत्यनारायण गर्ग निवासी नीमच, गोपाल पिता मोनीराम पाटीदार निवासी अचारी राजस्थान, निखिल पिता सत्यनारायण तेली निवासी बघाना, लियाकत बैग पिता मुन्नाखान निवासी बघाना, कमलेश पिता औमप्रकाश गुप्ता निवासी बघाना, गोविन्द पिता राजमल तेली निवासी जागोली, सुमीत पिता राजमल पाटीदार निवासी अचारी, राजस्थान जलज पिता कन्हैयालाल महावर निवासी नीमचसिटी	निरंक
45	350	0.360	0.3600	मध्यप्रदेश शासन	निरंक
46	353/1	0.950	0.1400	उदेसिंह पिता कन्हैयासिंह राजपूत निवासी बघाना	निरंक
47	353/2	0.090	0.0600	शारदाबाई पिता कन्हैयासिंह राजपूत निवासी बघाना	निरंक
48	353/3	0.950	0.1200	सज्जनसिंह पिता कन्हैयासिंह राजपूत निवासी बघाना	निरंक
49	355	0.800	0.0620	सुजाता पति अश्विन भारद्वाज निवासी 101 राजस्व कॉलोनी नीमच	कुआं कच्चा 1
50	356	3.430	0.4500	प्रतिभा, मनुमाई, मुक्ता, रितुलिका	निरंक
51	358	1.080	0.1020	पिता गणेशराम व भारतीदेवी बेवा गणेशराम कुल्मी निवासी नीमच मध्यप्रदेश शासन	निरंक

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड- नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-177-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-01-अ-82-2025-26

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच के द्वारा नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव लंबाई 21.20 किमी के लिए निजी भूमि अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम जयसिंहपुरा के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक 1,4,148, 149,151,152,153,154,155,161/3,161/1/1, 162, 308/1, 309, 323/1/4, 345, 364, 365/2/1, 381/2/3, 382/4, 383, 384/3 में से अधिग्रहित रकबा 6.2080 हे. की भूमि नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव बायपास मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम जयसिंहपुरा से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4,5 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात की प्रारंभिक प्रक्रिया नवीन भू-अर्जन के प्रकरणों में करने संबंधी कार्य पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि " सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट-जहाँ 40 के अधीन आत्यंतिकता उपबंधों का अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है जहाँ समुचित सरकार सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी" उक्त योजना जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः ऐसी दशा में धारा 40 के प्रावधानानुसार अर्जेंसी का दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारित अध्ययन से छूट दी गई है।

भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। सरकार द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा- 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि भू-अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव बायपास मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम जयसिंहपुरा	रकबा 6.208 हेक्टर एवं निर्मित परिसंपत्ति

अनुसूची (2)

नीमच बायपास के संबंध में नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव बायपास मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम जयसिंहपुरा से प्रभावित भूमि का विवरण :- तहसील नीमचनगर व जिला नीमच

क्र.स.	सर्वेक्षण संख्यांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	धारा-12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	परिसम्पत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	1	0.2820	0.062	मध्यप्रदेश शासन	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच जिला नीमच	निरंक
2	4	0.3970	0.025	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
3	148	0.0630	0.0160	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
4	149	0.2610	0.065	नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुत निवासी जयसिंहपुरा		निरंक
5	151	0.6580	0.1470	नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुत निवासी जयसिंहपुरा		निरंक
6	152	0.2300	0.063	नन्दा, कन्हैयालाल, हरिराम, प्यारेलाल, गीता व राधाबाई पति भेरूलाल माली निवासी जयसिंहपुरा		निरंक
7	153	0.1150	0.021	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
8	154	0.1880	0.026	राकेश पिता नेमीचंद जैन निवासी- 745, 14/2 विकास नगर विस्तार नीमच		निरंक
9	155	0.3240	0.146	राकेश पिता नेमीचंद जैन निवासी- 745, 14/2 विकास नगर विस्तार नीमच		निरंक
10	161/3	1.1290	0.418	राकेश पिता नेमीचंद जैन निवासी- 745, 14/2 विकास नगर विस्तार नीमच		निरंक
11	161/1/1	1.7650	0.227	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
12	162	0.3140	0.142	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
13	308/1	2.0270	1.132	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
14	309	0.9930	0.074	सत्यनारायण पिता नानुराम कुल्मी निवासी- जयसिंहपुरा		निरंक
15	323/1/4	2.1310	1.075	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
16	345	0.3450	0.012	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
17	364	0.3980	0.035	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
18	365/2/1	5.4870	1.010	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
19	381/2/3	1.7390	1.017	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
20	382/4	0.2800	0.107	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
21	383	0.2400	0.012	मध्यप्रदेश शासन		निरंक
22	384/3	0.7330	0.376	शासकिय काबिल काश्त		निरंक

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड- नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-179-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-04-अ-82-2025-26

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच के द्वारा नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव लंबाई 21.20 किमी के लिए निजी भूमि अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम चंगेरा के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक 24/1, 24/2, 26, 28, 54/1, 55, 69/1/1, 70/2, 72, 73, 74, 111/1, 390/2, 390/3, 390/4, 388, 389, 445, 450, 461/1, 476, 477/1/1, 477/3/1/1, 477/4, 486, 489, 490, 494, 495 में से अधिग्रहित रकबा 3.1160 हे. की भूमि नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव बायपास मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम चंगेरा से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4, 5 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात की प्रारंभिक प्रक्रिया नवीन भू-अर्जन के प्रकरणों में करने संबंधी कार्य पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि " सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट-जहाँ 40 के अधीन आत्यंतिकता उपबंधों का अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है जहाँ समुचित सरकार सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी" उक्त योजना जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः ऐसी दशा में धारा 40 के प्रावधानानुसार अर्जन्सी का दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारित अध्ययन से छूट दी गई है।

भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। सरकार द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा- 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि भू-अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव बायपास मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम चंगेरा	रकबा 3.1160 हेक्टर एवं निर्मित परिसंपत्ति

नीमच बायपास के संबंध में नीमच बायपास जयसिंहपुरा बघाना नयागांव बायपास मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम चंगेरा से प्रभावित भूमि का विवरण :- तहसील नीमचनगर व जिला नीमच

क्र.स.	सर्वेक्षण संख्यांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	धारा-12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	परिसम्पत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	24/1	0.660	0.076	गुरुमुखसिंह पिता अर्जुनसिंह, रिदम, रोशि पिता गुरुमुखसिंह छाबड़ा निवासी नीमच	कार्यपालन यत्री लोक निर्माण विभाग, नीमच जिला	निरंक
2	24/2	0.330	0.048	खेमशंकर पिता बालमुकुन्द ब्राह्मण निवासी सुवाखेड़ा		निरंक
3	26	2.310	0.252	देवेन्द्रसिंह, कमलेशकुंवर, फतेहकुंवर, भगवतीकुमारी, नन्दकुंवर, रामकुंवर, आशाकुंवर पिता जुझारसिंह राजपुत निवासी कनावटी		निरंक
4	28	0.790	0.016	शासकीय रास्ता		निरंक
5	54/1	1.810	0.188	सत्यनारायण, लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल सुतार निवासी चंगेरा		निरंक
6	55	1.820	0.018	उमरावसिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासी चंगेरा		निरंक
7	69/1 /1	0.400	0.092	विपुल पिता सुनील अग्रवाल निवासी गांधीनगर नीमच		निरंक
8	70/2	0.250	0.092	रामलाल पिता कनीराम गुर्जर निवासी डुंगलावदा		निरंक
9	72	0.900	0.160	वैभव पिता संजीव अग्रवाल निवासी गुड़गांव हरीयाणा		निरंक
10	73	2.560	0.250	जरेसिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासी चंगेरा		निरंक
11	74	2.560	0.294	अब्दुल रशीद पिता शेख रमजू मुसलमान निवासी छोटी मण्डी नीमच		निरंक
12	111/1	0.600	0.038	दिक्षित शाह पिता मनसुखलाल शाह निवासी बड़ोदरा गुजरात		निरंक
13	390/2	0.210	0.043	रामचन्द्र पिता चौथमल गर्ग निवासी 340 विकासनगर		निरंक
14	390/3	0.210	0.043	मीनु पति आशीष गर्ग निवासी 340 विकासनगर		निरंक

15	390 / 4	0.320	0.084	आशीष पिता रामचन्द्र गर्ग निवासी 14 / 4 विकासनगर नीमच	निरंक
16	388	0.490	0.040	लाभचन्द्र पिता फकीरचन्द्र गुर्जर निवासी डुंगलावदा	निरंक
17	389	0.960	0.184	मनीषादेवी पति मोहितकुमार गोयल निवासी बंगला नम्बर 46 नीमच	निरंक
18	445	1.120	0.184	राकेश कुमार पिता ओमप्रकाश भारद्वाज निवासी राजस्व कॉलोनी नीमच	निरंक
19	450	1.430	0.036	शासकीय रास्ता	निरंक
20	461 / 1	0.100	0.016	राधाबाई पति महेन्द्रसिंह सौंधिया निवासी धनेरियाखुर्द	निरंक
21	476	0.500	0.092	राधाबाई पति महेन्द्रसिंह सौंधिया निवासी धनेरियाखुर्द	निरंक
22	477 / 1 / 1	0.550	0.136	विमलाबाई पति राजेन्द्रसिंह सौंधिया निवासी धनेरियाखुर्द	निरंक
23	477 / 3 / 1 / 1	0.450	0.124	रामसिंह पिता भोमसिंह राजपुत निवासी चंगैरा	निरंक
24	477 / 4	0.630	0.090	गोपाल पिता नाथुलाल पाटीदार निवासी कनावटी	निरंक
25	486	1.450	0.218	किशनलाल पिता बालु कुम्हार निवासी चंगैरा	निरंक
26	489	1.320	0.088	मोहन पिता गिरधारी धोबी निवासी बघाना नीमच	निरंक
27	490	0.530	0.168	मोहन पिता गिरधारी धोबी निवासी बघाना नीमच	निरंक
28	494	0.840	0.030	गीताबाई बेवा रमेशचन्द्र, प्रियंका, आकाश, बबीता, राकेश पिता रमेशचन्द्र वर्मा निवासी भोलाराम कम्पाउण्ड नीमच	निरंक
29	495	0.330	0.016	शासकीय रास्ता	निरंक

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड- नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हिमांशु चन्द्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-1266-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.30-अ-82-2024-25

नरसिंहपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

प्रारूप- V
(नियम-10 देखिए)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन मछरेवा सिंचाई परियोजना के इस क्षेत्र हेतु ग्राम- पाला मुढरई प.ह.नं.- 32/81 नं.ब.- 306 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 4.066 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 4.066 हेक्टेयर है ग्राम पाला मुढरई तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

ग्राम- पाला मुढरई तहसील- नरसिंहपुर प.ह.नं.- 32/81

क्र.	भू-धारक (खातेदार) का नाम और पता	खसरा संख्या	कुल रकबा हेक्टेयर	अर्जित रकबा (हे०)	(सिंचित/असिंचित)	रिमार्क
1	कुसुमबाई वेवा दशरथ, सुखराम पिता छिदामी, मोतीलाल पिता तेजराम, बसंतीबाई पिता तेजराम, भरतलाल पिता हाकम, रोशनलाल पिता हाकम, गायत्रीबाई पिता तेजराम, जयाबाई बेवा तेजराम, सुखवतीबाई पिता तेजराम, बुधियाबाई पिता बैसाखू, मुन्नीबाई पिता हाकम, रामसिंह पिता बैसाखू जाति गोड़ पता पाला मुढरई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	2/1 (s)	1.944	0.130	असिंचित	अधिकार अभि. 1954 -55 में आबादी मद में दर्ज है।
2	इमरत, सुखराम, पिता छिदामी, मुन्नीबाई पिता हाकम, सुखवतीबाई पिता तेजराम, बसंतीबाई पिता तेजराम, रोशनलाल पिता हाकम, गायत्रीबाई पिता तेजराम, बुधिया बाई पिता बैसाखू, जयाबाई बेवा तेजराम, भरतलाल पिता हाकम, मोतीलाल पिता तेजराम, कुसुमबाई वेवा दशरथ, रामसिंह पिता बैसाखू जाति गोड़ पता पाला मुढरई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	8/1 (s)	1.640	0.089	असिंचित	
3	चेतराम पिता प्रहलाद जाति गोड़ पता पाला मुढरई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/5 (s)	0.640	0.283	असिंचित	
4	चेतराम पिता प्रहलाद जाति गोड़ पता पाला मुढरई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/6 (s)	0.600		असिंचित	
5	मीराबाई पत्नी सुरेश कुमार सियाराम गौराबाई ज्योति इनावाती पिस स्व सुरेशकुमार जाति गोड़ पता सा० उसरी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/1 (s)	2.308	0.008	सिंचित	
6	सत्यनारायण पिता शिवचरण जाति गोड़ पता पाला मुढरई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6 (s), 11/3, 15/3	1.821	0.235	सिंचित	
7	हिमांशु पुत्र पंचमलाल जाति मेहरा पता पाला मुढरई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	7/1 (s)	1.214	0.085	असिंचित	
8	हिमांशु पुत्र पंचमलाल जाति मेहरा पता पाला मुढरई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	7/3 (s)	0.809	0.141	असिंचित	

9	भरतलाल पिता हाकम, मुन्नीबाई पिता हाकम, रोशनलाल पिता हाकम, कुसुमबाई वेवा दशरथ जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	2/2 (s) =0.680, 8/2=0.681	1.361	0.404	सिंचित	
10	दूधनसिंह पिता इमरत सिंह जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	2/3 (S) =0.647, 8/3=0.712	1.359	0.349	सिंचित	
11	बुद्धू भददू पिता बजारी जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	2/4 (S) =0.647, 8/4=0.712	1.359	0.317	असिंचित	
12	विश्राम पिता दूधन सिंह जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	8/5 (s)	0.500	0.091	असिंचित	
13	चेतराम पिता प्रहलाद जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	8/7 (s)	0.112	0.112	सिंचित	
14	भागवती बाई ध.प. शिवचरन सत्यनारायण, त्रिवेणी, राधाबाई पिता शिवचरण जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	11/1(s), 15/1	2.501	0.804	सिंचित	
15	जानकीबाई पत्नी किशोरीलाल यादव जाति अहीर पता ऊसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	48/6/1 (s)	0.607	0.041	सिंचित	
16	रोशन पिता सददु जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	48/2(s)	0.605	0.003	सिंचित	
17	प्रदीप पिता किशोरीलाल यादव जाति अहीर पता ऊसरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	48/3 (s)	0.318	0.191	सिंचित	
18	त्रिवेणीबाई बेवा बेनीप्रसाद वंदना, अजय, विजय, पिता बेनीप्रसाद जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	48/5 (s)	0.741	0.112	सिंचित	
19	दशरथ पिता बालकिशन जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	52 (s)	0.668	0.167	सिंचित	
20	बद्री प्रसाद पिता बिहारी लाल जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	54/1 (s)	0.251	0.010	असिंचित	
21	नरवदाप्रसाद पिता मंगल जाति धोबी पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	54/2 (s)	1.331	0.216	सिंचित	
22	नरवदाप्रसाद पिता मंगल जाति धोबी पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	58 (s)	0.364	0.016	सिंचित	
23	छोटी बाई वेवा ताराचंद पूनम, हेमराज, पतिराम, भागवती बाई, चावरी उर्फ आरतीबाई पिता ताराचंद जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	59/2 (s)	1.214	0.087	सिंचित	
24	सियाबाई वेवा राम दयाल, चन्नीलाल, प्रकाश पिता रामदयाल मन्ता वेवा हल्के, अच्छेलाल, किशोरीलाल पिता हल्के दूजु, बीरबल पिता भीपत, गिंदा, हाकम, कंधई पिता नन्हेलाल, द्रोपतीबाई, मोहन, सुरेश, आकाश, राधेश्याम, गूमताबाई, ज्ञानोबाई पिता जयराम जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	67 (s)	2.485	0.021	सिंचित	
25	दशोदा बाई, कली बाई, सोमवती, मूंगाबाई पिता नन्हे लाल जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	68/1/1 (s)	1.216	0.021	असिंचित	
26	बृजलाल पिता मल्लू जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	68/5(s)	1.718	0.001	सिंचित	
27	अनुरुद्ध पिता भागीरथ जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	69/1 (s)	2.754	0.047	असिंचित	
28	शिवप्रसाद पिता गिंदा जाति गौड़ पता पाला मुढ़रई नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	69/2 (s)	2.533	0.085	सिंचित	
कुल योग			34.973	4.066		

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
2. कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. मछरेवा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-1268-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.27-अ-82-2024-25

प्रारूप- V
(नियम-10 देखिए)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन मछरेवा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम- भंडारदेव प.ह.नं.- 69 नं.ब.- 434 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 37.482 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 37.482 हेक्टेयर है ग्राम भंडारदेव तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:-

ग्राम- भंडारदेव तहसील- नरसिंहपुर प.ह.नं.- 69

क्रमांक	भू-धारक (खातेदार) का नाम और पता	खसरा संख्या	कुल रकबा हेक्टेयर	अर्जित रकबा (हे0)	(सिंचित/असिंचित)	रिमार्क
1	नेतराम पिता गेंदा लाल जाति गौड़ पता भंडारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	1/2	1.214	0.842	सिंचित	वन विभाग NOC के अधीन
2	पार्वती बाई पत्नी सुक्का गौड़ सरजू, मानक लाल, गोविंद पिता सुक्का गौड़ कौशल्या बाई पुत्री सुक्का गौड़ पता भंडारदो नरसिंहपुर	1/4	1.619	1.619	सिंचित	वन विभाग NOC के अधीन
3	डॉ सजीव पिता बसंतराव जाति चादोरकर पता भंडारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	1/8	2.179	0.129	सिंचित	वन विभाग NOC के अधीन
4	लखनलाल पिता नन्हेलाल जाति गौड़ पता भंडारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	1/14	0.405	0.027	सिंचित	वन विभाग NOC के अधीन
5	सरजू पिता सुक्का जाति गौड़ पता भंडारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	1/16	1.204	1.204	सिंचित	वन विभाग NOC के अधीन
6	मानक पिता सुक्का जाति गौड़ पता भंडारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	1/17	1.205	1.205	सिंचित	वन विभाग NOC के अधीन
7	गोविंद पिता सुक्का जाति गौड़ पता भंडारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	1/18	1.204	1.146	सिंचित	वन विभाग NOC के अधीन
8	कैलाश पिता गेंदा लाल जाति गौड़ पता भंडारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	1/19	1.214	0.160	सिंचित	वन विभाग NOC के अधीन
9	सीमा पत्नी अनिल सिंह जाति राजपूत पता चेरिताल वार्ड जबलपुर जबलपुर मध्य प्रदेश	1/10/1	0.560	0.560	असिंचित	वन विभाग NOC के अधीन

10	सुषमा पत्नी महिपाल सिंह जाति राजपूत पता घंशौर सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1/10/2	0.560	0.310	असिंचित	वन विभाग NOC के अधीन
11	नेपाल पिता उमेद पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/1	1.206	1.126	सिंचित	
12	अच्छेलाल पिता उमेद जाति गौड़ पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	5/2	1.206	1.016	सिंचित	
13	रामवती पत्नी नेपाल सिंह जाति गौड़ पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	5/3	0.809	0.680	असिंचित	
14	हरवती पत्नी अच्छेलाल जाति गौड़ पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	5/4	0.809	0.700	असिंचित	
15	सीताराम, सरस्वतीबाई, शांतिबाई, जालम सिंह पिता बुद्धू जाति गौड़ पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	7/1	0.396	0.396	सिंचित	
16	जालम पिता बुद्धू पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	7/2	0.405	0.405	सिंचित	
		8/2	1.519	1.519	सिंचित	
17	जालमसिंह सीताराम सरस्वती बाई शांति बाई पिता बुद्धू	8/1	0.491	0.491	असिंचित	
18	सीताराम पिता बुद्धू जाति गौड़ पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	8/3	1.900	1.900	सिंचित	
19	ताराचंद पिता श्रीलाल, ममता बेवा धुन्ना, सुफरती बेवा गुलाब, प्रकाश पिता गुलाब जाति गौड़ पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	9/1	1.316	1.316	असिंचित	
20	शंकर पिता रामजी जाति गौड़ पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	9/2	1.401	1.401	सिंचित	
21	नेतराम, सुगमबाई, रामबाई पिता नब्बू जाति गौड़ बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/3	2.210	2.210	असिंचित	
22	शंकरलाल पिता रामजी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	9/4	0.809	0.809	सिंचित	
23	जयराम पिता राजाराम पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	10/1	0.700	0.700	सिंचित	
24	जयराम पिता राजाराम पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	10/2	1.228	1.228	असिंचित	
25	अर्जुन पिता रूपसिंह, रामगोपाल पिता रूपसिंह, शरद गौड़, संजय गौड़ अंजना बाई पिता मिठूलाल निवासी उसरी	10/3/1	0.358	0.358	असिंचित	
26	अर्जुन पिता रूपसिंह जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	10/3/2	1.200	1.200	असिंचित	
27	रामगोपाल पिता रूपसिंह जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	10/3/3	1.200	1.200	असिंचित	
28	राजाराम पिता कोदू पुसि, बाई, जयाबाई, कलाबाई पिता राजाराम जाति गौड़ पता बिजौरी नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	11/1	0.720	0.720	असिंचित	
29	सुषमा पत्नी सत्यनारायण पता डांगीढाना जाति मेहरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	12/1	1.619	1.480	सिंचित	
30	घासीराम, संतराम पिता नेतराम जाति गौड़ पता सादेह नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	12/2	3.824	3.824	सिंचित	
31	रमेश पिता मूलचंद जाति गड़रिया पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	12/3	3.824	3.824	सिंचित	
32	ताराचंद पिता बाबूलाल जाति मेहरा पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	12/4	0.583	0.567	सिंचित	

33	नरेश पिता रोशनलाल जाति मेहरा पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	12/5/1	0.709	0.709	सिंचित	
34	रोशनलाल पिता ताराचंद जाति मेहरा पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	12/5/2	0.201	0.201	सिंचित	
35	शिवकुमार पिता रोशनलाल जाति मेहरा पता भड़ारदो नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	12/5/3	0.709	0.300	सिंचित	
कुल योग			42.716	37.482		

- उपरोक्त सूची के सरल क्र. 02 एवं 25 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय नायब तह. वृत्त मुंगवानी के प्र.क्र. 0182/अ-6/2025-26 आदेश दिनांक 11.11.2025 एवं प्र.क्र. 0180/अ-6/2025-26 आदेश दिनांक 10.11.2025 के अनुसार संशोधित किये गये हैं।
- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्ग्रवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है अतः इनके लिये पुनर्ग्रवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- मछरेवा सिंचाई परियोजना के डब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्ग्रवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-1270-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र. 32-अ-82-2024-25

प्रारूप- V
(नियम-10 देखिए)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव राजस्व, विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन मछरेवा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम- मडवा प.ह.नं.-32/82 नं.ब.- 451 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 0.075 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.075 हेक्टेयर है ग्राम मडवा तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

ग्राम- मडवा तहसील- नरसिंहपुर प.ह.नं.- 32/82

क्रमांक	हितग्राही का नाम और पता	खसरा संख्या	कुल रकबा हेक्टेयर	अर्जन हेतु रकबा (हे०)	(सिंचित/असिंचित)	रिमार्क
1	दीपसिंह पिता तेजराम लक्ष्मीबाई, त्रिवेणी बाई पिता दीपसिंह गौड़ पता मडवा नरसिंहपुर नरसिंहपुर म० प्र०	2/9	0.607	0.075	सिंचित	
योग			0.607	0.075		

- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों का सुनने और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- कार्यपालन यंत्री पैंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- मछरेवा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11)

क्र.-1591-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.001-अ-82-2023-24

नरसिंहपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गोटेगांव |
| 3. ग्राम | : सांकल |
| 4. प.ह.न. | : 01 |
| 5. नं.ब. | : 556 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 0.864 हेक्टेयर |

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा (हे.)
1	2	3	4	5
1	हुकुमसिंह पिता नैना जाति चमार पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/3 (s)	0.064
2	जमनाबाई बेवा परमलाल डोरीलाल भग्गोबाई पिता परमलाल जाति चमार पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/5 (s)	0.020
3	प्रहलाद सिंह पिता शंकरलाल जाति लोधी पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	209/1 (s) 209/2 (s) 209/3	0.081 0.219
4	देवेन्द्र सिंह पिता यशवन्त सिंह जाति लोधी पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	214/2 (s)	0.251
5	श्री देव रामचंद्र जी मंदिर रामप्यारी बेवा वीरनदास फत्तूदास पिता गिरधारीदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर जाति वैरागी पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	213 (s)	0.060
6	श्री देव शंकर जी मंदिर सर. नारायणदास पिता डल्लूदास मनोजदास पिता शंभूदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर जाति वैरागी पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	216 (s)	0.089
7	रोशनसिंह पिता सुम्मे जाति ढीमर पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	246/1 (s)	0.014
8	मीराबाई बेवा महेश ढीमर गुड्डू बलराम मुरारी यशोदाबाई मायाबाई पिता महेश जाति ढीमर पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	246/5 (s)	0.010
9	हक्कीबाई पिता सुम्मे जाति ढीमर पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	246/6 (s)	0.008
10	यशवंत सिंह पिता उमेद सिंह जाति लोधी पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	247/1 (s)	0.048
11	खेलनसिंह पिता उमेदसिंह जाति लोधी पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	247/2 (s)	
12	उमाशंकर पिता उमेदसिंह जाति लोधी पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	247/3 (s)	
13	छोटीबाई उर्फ पूनाबाई बेवा कोमलसिंह जाति लोधी पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	247/4 (s)	
कुल योग				0.864

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11)

क्र.-1593-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.004-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गोटेगांव |
| 3. ग्राम | : बुधगांव |
| 4. प.ह.न. | : 2 |
| 5. नं.ब. | : 418 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 4.364 हेक्टेयर |

अनुसूची 2

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
1	सत्यवती पुत्र चन्द्रभान ब्रा. पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	50/1 (s) 51/1 52/1	0.168
2	खुशी ना.बा. पुत्री तुलाराम बली बड़ेदादा चन्द्रभान पुष्पाबाई वेवा तुलाराम ब्राम्हण पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	50/2 (s) 51/2 52/2	
3	श्री देव नर्मदा जी सर. ठा. शशिभूषण सिंह पुत्र शिवराज सिंह पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर प्रबंधक कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	53 (s)	0.060
4	ओंकारसिंह मुल्लूंसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति ढीमर पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	62/1 (s)	0.032
5	बड़ीबाई वेवा तेजीलाल दिनेश छोटेला ल पुत्र तेजीलाल जाति ढीमर पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	63/2 (s) 63/3	0.008
6	टीकाराम पुत्र झलकन जाति ढीमर पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	63/8 (s)	0.020
7	तारापत पुत्र झलकन जाति ढीमर पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	63/9 (s)	0.012
8	भगोबाई वेवा डब्बू जाति ढीमर पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी मंगलसिंह पुत्र डब्बू जाति ढीमरपता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर राजेश पुत्र डब्बू जाति ढीमर पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर सीताराम पुत्र डब्बू जाति ढीमर पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर जयंतीबाई पुत्री डब्बू जाति ढीमर पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	60/2/1 (s)	0.016
9	भगवान पुत्र सोवरन जाति ढीमर पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	60/2/3 (s)	0.040
10	विश्वनाथ सिंह पुत्र ठाकुर सिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	71/1 (s)	0.125
11	संतोष वल्द लोटनसिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	71/3 (s)	0.008

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
12	प्रीतम वल्द कड़ोरीलाल जाति नाथ पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	71/5 (s)	0.012
13	इंद्रेश लोधी पुत्र महेश लोधी जाति लोधी छोटेलाल लोधी पुत्र महेश लोधी रूपवती बाई वेवा महेश लोधी जाति लोधी प्रभाबाई पुत्री लाखनसिंह लोधी जाति लोधी पता पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	179/2 (s)	0.016
14	सरदारसिंह वल्द कोदू जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	178/1/ 1 (s) 178/2/क	0.040
15	हकोलीबाई वेवा रम्मू जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी नेतराम पुत्र रम्मू जाति लोधी कुन्ताबाई पुत्री रम्मू जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	178/1/ 2 (s) 178/2/ख	
16	दुर्गाप्रसाद वल्द घूरनसिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	178/1/ 3 (s) 178/2/ख	
17	थोवन वल्द घूरन जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	178/1/4 (s) 178/2/घ	
18	हीरालाल पुत्र घूरन लोधी जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	178/1/5 (s) 178/2/ङ	
19	जीजीबाई पुत्र चुन्नीलाल जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	178/4-5 (s)	
20	नंदकिशोर पुत्र हरिशंकर जाति दीक्षित पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	185/1/1 (s)	0.063
21	सुनील कुमार पुत्र हरिशंकर जाति दीक्षित पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	185/1/2 (s)	0.275

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
22	रणजीत पुत्र हरिशंकर जाति दीक्षित पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	185/1/3 (s)	0.275
23	नीलेश पुत्र हरप्रसाद जाति ब्रा. पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	185/2 (s) 186/2	0.306
24	रामनारायण दीक्षित पुत्र प्रभुदयाल दीक्षित जाति ब्रा. पता बढैयाखेड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	185/3 (s) 186/3	0.077
25	शारदाप्रसाद पुत्र तुलसीराम जाति ब्रा. पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	185/4 (s) 186/4	0.077
26	रमेश कुमार वल्द तुलसीराम जाति ब्रा. पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	185/5 (s) 186/5	0.077
27	ओमप्रकाश वल्द तुलसीराम जाति ब्रा. पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	185/6 (s) 186/6	0.076
28	जयंतीबाई पत्नि हरिशंकर दीक्षित जाति दीक्षित पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/8/1 (s)	0.570
29	नीलेश पुत्र हरप्रसाद जाति ब्रा. पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/8/2 (s)	
30	रामनारायण वल्द प्रभुदयाल दीक्षित जाति ब्रा. पता बढैयाखेड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/8/3 (s)	
31	रामनारायण वल्द प्रभुदयाल दीक्षित जाति ब्रा. पता बढैयाखेड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/8/4 (s)	
32	रामनारायण वल्द प्रभुदयाल दीक्षित जाति ब्रा. पता बढैयाखेड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/8/5 (s)	
33	रामनारायण वल्द प्रभुदयाल दीक्षित जाति ब्रा. पता बढैयाखेड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/8/6 (s)	

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
34	योगेन्द्र कुमार वीरेन्द्र कुमार पुत्र मालकसिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/9 (s)	0.016
35	बद्रीप्रसाद पुत्र हुकमसिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/5/1 (s)	
36	बद्रीप्रसाद पुत्र हुकमसिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/5/4 (s)	
37	झुलकोबाई वेवा हुकमसिंह हेमराज पुत्र हुकमसिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/5/2 (s)	
38	दीपाबाई जोजे पुरषोत्तम जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/5/3 (s)	
39	नारायणसिंह वल्द देवीसिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/7 (s)	
40	मुन्नीबाई तीजाबाई पिता तुलसीराम जाति गौड़ पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/10 (s)	1.525
41	विजय पुत्र धनीराम लुहार पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/11/1 (s)	
42	नीलेश पुत्र धनीराम लुहार पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/11/2 (s)	
43	अन्नीलाल पुत्र डब्बल लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/12 (s)	
44	चेता वल्द शिवराज जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/25 (s)	
45	फुल्लू वल्द मन्नू जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/26 (s)	
46	घनश्याम पुत्र इमरत जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/27 (s)	

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
47	जगदीश पुत्र पूरनलाल रमेश पुत्र पूरनलाल संतोष पुत्र पूरनलाल गुड्डीबाई पुत्री पूरनलाल मुन्नीबाई पुत्री पूरनलाल जाति चमार पता रहली गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/28 (s)	
48	भीकमसिंह पुत्र खेतसिंह हक्कूसिंह पुत्र खेतसिंह भोजराज पुत्र खेतसिंह रूपसिंह पुत्र खेतसिंह देवीप्रसाद पुत्र खेतसिंह मन्तीबाई पुत्री खेतसिंह जाति चमार पता नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/29 (s)	
49	भोलाराम पुत्र परमलाल जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/30 (s)	
50	रामजी पुत्र हेमचरन जाति नाई पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/31/1 (s)	
51	कलू पुत्र हेमचरन जाति नाई पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/31/2 (s)	
52	विनोद पुत्र हेमचरन जाति नाई पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/31/3 (s)	
53	निजामसिंह पुत्र मल्थू जाति धोबी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/32 (s)	
54	घसीटे पुत्र दुलीचन्द्र जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/33 (s)	
55	रामकुमार पुत्र ताराचंद जाति बनिया पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/34 (s)	
56	बिंदिया केदार गुड्डीबाई धनाबाई पिता सीताराम जाति मलाह पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/35 (s)	
57	रामलाल पुत्र कुंवनमन जाति मलाह पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/36/1 (s)	

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
58	नारायण सिंह पुत्र कुंवरमन मलाह पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/36/2 (s)	
59	दयालसिंह पुत्र कुंवरमन मलाह पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/36/3 (s)	
60	हेमराज पुत्र पहाड़ी जाति मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/37 (s)	
61	हेमराज पुत्र पहाड़ी जाति मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/40/1 (s)	
62	नेकीलाल पुत्र कछेदीलाल जाति मेहरा पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/38 (s)	
63	कछेदी पुत्र कढोरी जाति मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/41/1 (s)	
64	झलकन पुत्र कछेदीलाल जाति मेहरा पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/41/2 (s)	
65	रेवाराम मेहरा पुत्र वीरन मेहरा जाति मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी धनाबाई पुत्री वीरन मेहरा हरीबाई पुत्री वीरन मेहरा पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/39 (s)	
66	ओंकार पुत्र पहाड़ी मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/40/2 (s)	
67	राजेश पुत्र झाऊलाल जाति मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/42 (s)	
68	राधाबाई वेवा शिवचरन जाति मेहरा कमल पुत्र शिवचरन जाति मेहरा कैलाश पुत्र शिवचरन जाति मेहरा अशोक पुत्र शिवचरन आशीष पुत्र शिवचरन वंदनाबाई पुत्री शिवचरन दुर्गाबाई पुत्री शिवचरन जाति मेहरा पता सांकल गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/43 (s)	

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
69	बाबूलाल अन्नीलाल सेवकराम पिता फुलू बत्तीबाई वेवा फुलू जाति मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/44 (s)	
70	नन्हा वल्द पन्ना जाति गौड़ पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/45 (s)	
71	शुगरबाई वेवा डब्बू छोटेलाल इमरतसिंह सेवकसिंह पूनाबाई पिता डब्बू जाति गौड़ पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/46 (s)	
72	मानसिंह पुत्र जीवन जाति मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/47 (s)	
73	रघुवर वल्द मंगू रामा वेवा मंगू जाति गौड़ पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/48 (s)	
74	रघुवर वल्द मंगू जाति गौड़ पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/49 (s)	
75	खेतसिंह पुत्र घूरन जाति मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/50 (s)	
76	हाकमसिंह वल्द कीरतसिंह जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/51 (s)	
77	हाकमसिंह वल्द कीरतसिंह जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/52 (s)	
78	देवीसिंह पुत्र सरदार सिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/54 (s)	
79	गोविन्द प्रसाद पुत्र कीरत प्रसाद जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/55/1 (s)	
80	गोपाल प्रसाद पुत्र कीरत जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/55/2 (s)	

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
81	हाकमसिंह पुत्र कीरतसिंह जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/55/3 (s)	
82	गोपाल प्रसाद वल्द कीरत जाति लुहार पता परसवाड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/57 (s)	
83	वेनीप्रसाद वल्द भारामल खीराबाई पुत्री भारामल जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/58 (s)	
84	दशरथ पुत्र छिदामीलाल लुहार रघुवीर सिंह पुत्र छिदामीलाल विद्याबाई पुत्री छिदामीलाल कौशल्याबाई पुत्री छिदामीलाल गीताबाई पुत्री छिदामीलाल लुहार पता परसवाड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/59 (s)	
85	दशरथ पुत्र छिदामीलाल लुहार रघुवीर सिंह पुत्र छिदामीलाल विद्याबाई पुत्री छिदामीलाल कौशल्याबाई पुत्री छिदामीलाल गीताबाई पुत्री छिदामीलाल लुहार पता परसवाड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/60 (s)	
86	गेंदालाल पुत्र बसोरीलाल जाति विश्वकर्मा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/61 (s)	
87	गौतमसिंह रंजीतसिंह पुत्र शिवचरन चेनाबाई वेवा शिवचरन जाति लोधी पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी लक्ष्मण पुत्र धरमसिंह जाति लोधी कलाबाई वेवा धरमसिंह लोधी कविताबाई पुत्री धरमसिंह मीनाबाई पुत्री धरमसिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/62 (s)	
88	हेमराज पुत्र सरदार सिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/65 (s)	
89	मनोज कुमार उर्फ पीतम पुत्र गनेश जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/66 (s)	

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
90	संतोष पुत्र जालमसिंह जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/67/1 (s)	
91	रामनारायण पुत्र जालमसिंह लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/67/2 (s)	
92	मुन्नीबाई पत्नि जालमसिंह जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/68 (s)	
93	रमेश वल्द करनसिंह लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/69 (s)	
94	विजय पुत्र धनीराम लुहार पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/70/1/1 (s)	
95	नीलेश पुत्र धनीराम लुहार पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/70/1/2 (s)	
96	गोपाल प्रसाद पुत्री कीरत जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/70/2 (s)	
97	विजय पुत्र धनीराम लुहार पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/71/1 (s)	
98	नीलेश पुत्र धनीराम लुहार पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/71/2 (s)	
99	रेवाराम पुत्र लटोरी जाति मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/72 (s)	
100	हकोला पुत्र गोरेलाल जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/73 (s)	
101	शांतिबाई छोटीबाई पुत्री धांधू जाति गौड़ पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/74 (s)	
102	गजराज पुत्र जुरई चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/75 (s)	
103	कमलेश पुत्र लक्ष्मन जाति मेहरा जीजीबाई विमलाबाई पुत्री लक्ष्मन जाति मेहरा पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/76 (s)	

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
104	शीतल वल्द मानसिंह जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/77 (s)	
105	शोभाराम पुत्र मठोले जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/78 (s)	
106	बाबूलाल पुत्र तुलसीराम जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/79 (s)	
107	जयराम पुत्र इमरत जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/80 (s)	
108	हक्कीबाई वेवा डोरीलाल जाति चमार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/81(s) 187/82	
109	पूनाबाई पत्नि देवीसिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/83 (s)	
110	गोरीलाल पुत्र वल्ले जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/84 (s)	
111	नन्दू पुत्र विजय जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/85 (s)	
112	किरणबाई तुलसाबाई पुत्री विजय जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/86 (s)	
113	दलसिंह वल्द हनुमत सिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/87 (s)	
114	भूरीबाई पत्नी नारायण सिंह पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/88 (s)	
115	दशोदाबाई पत्नि खलन सिंह जाति लोधी पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187/89 (s)	
116	अन्नीलाल पुत्र डब्बल लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/1 (s)	0.104

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
117	गोविन्द प्रसाद पुत्र कीरत प्रसाद जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/4/1 (s)	0.024
118	गोपाल प्रसाद पुत्र कीरत जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/8/1 (s)	0.024
119	हाकमसिंह पुत्र कीरतसिंह जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/8/2 (s)	0.024
120	छिदामी पुत्र भारामल खीराबाई वेवा भारामल पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/5 (s)	0.032
121	नीलेश पुत्र धनीराम जाति लुहार पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/8/3/2 (s)	0.024
122	योगेश्वर पुत्र कोमलसिंह जाति लुहार पता गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/2 (s)	0.032
123	हेमलता पति विष्णु जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/9 (s)	0.016
124	बृजकुमारी पति विजय कुमार लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/10 (s)	0.016
125	दयाराम पुत्र तेईसिंह महेन्द्रसिंह पुत्र दयाराम जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/6 (s)	0.016
126	कमल पुत्र तेईसिंह जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/11 (s)	0.016
127	हीरालाल पुत्र तेईसिंह जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/12 (s)	0.016
128	कामता पुत्र तेईसिंह जाति लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/13 (s)	0.016
129	ललतीबाई पुत्री भीकमसिंह लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/3 (s)	0.050

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
130	रामनारायण पुत्र जालमसिंह लुहार पता बुधगाँव गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/7 (s)	0.060
कुल योग				4.364

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11)

क्र.-1282-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.0001-अ-82-2025-26

नरसिंहपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये चिनकी बराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु। |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : करेली |
| 3. ग्राम | : गुरसी |
| 4. प.ह.न. | : 13/7 |
| 5. नं.बं. | : 141 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 40.524 हेक्टेयर |

अनुसूची 2

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	राधाबाई वेवा छोटेला ल जाति लोधी पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/2/1 (s) 283/2/3 (s)	0.390
2	हल्कू उर्फ गिरिराज पिता गोधनसिंह जाति लोधी पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/7/1 (s) 283/7/3 (s)	0.188
3	रामसिंह पिता गोधनसिंह जाति लोधी पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/6/1 (s) 283/6/3 (s) 251/4 (s)	0.190 0.048
4	राजबलसिंह पिता हल्के सिंह जाति लोधी पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	282/3/1/1 (s) 282/3/1/1/3 (s)	0.101
5	उदयसिंह पुत्र हल्के सिंह जाति लोधी पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	282/5/1 (s)	0.550
6	रामसेवक पिता हल्के सिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	282/5/2 (s)	
7	बाबूलाल पिता हल्के सिंह जाति लोधी पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	282/6 (s) 279/1 (s) 279/2 (s)	0.368 0.188
8	नन्हेलाल पुत्र बारेलाल जाति ढीमर पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	278 (s) 272/5 (s) 273 (s)	0.441 1.079
9	जीजीबाई पति शोभाराम जाति ढीमर पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	276/1 (s) 277/1 (s) 274/2 (s)	0.486 0.291
10	जानकीबाई पति केवल जाति कहार पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	276/2 (s) 277/2 (s)	0.405
11	दशरथ सिंह वल्द तुलसीराम जाति ढीमर पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	275/3 (s) 280/3 (s)	0.256
12	दामोदर वल्द तुलसीराम ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	275/5 (s) 280/5 (s)	0.360
13	कैकई बाई वेवा तुलसीराम जाति ढीमर पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	275/6 (s) 280/6 (s)	0.800

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
14	आरती पिता शोभाराम दुर्गेश पिता शोभाराम भुजबल ना.बा. पिता शोभाराम बली मां जीजीबाई शोभाराम पिता भैयालाल जाति ढीमर पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	274/1 (s) ✓ 272/3/1 (s)	0.089 0.176
15	घासीराम पुत्र बारीलाल जाति ढीमर पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	272/2 (s) 272/4 (s)	0.028
16	चन्द्रभान सिंह पिता सरदार सिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	263/2 (s) 265 (s)	1.138
17	रामसिंह पिता बैनीसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	262 (s) 263/1 (s)	1.862
18	तारापत पिता बेनीसिंह लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	264 (s)	0.124
19	ठा शिवनारायणसिंह पिता ठानन्हाजी ठा शंकरसिंह पिता ठानन्हाजी ठा सुनेन्द्रसिंह पिता ठानन्हाजी द्वारकाबाई वेवा ठानन्हाजी कृष्णाबाई पुत्री ठानन्हाजी गीताबाई वेवा ठा राजेन्द्रसिंह जाति लोधी पता कुम्हरोड़ा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	261 (s)	0.454
20	नीलेश पिता तारापत जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	259/1 (s)	0.360
21	सुन्दरलाल पिता हल्के जाति ढीमर पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	260/1/1 (s)	0.373
22	नरवरसिंह पिता तेजबल सिंह जाति पटेल पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	260/1/2 (s)	
23	खीरसिंह निहालसिंह शोभाराम कृष्णाबाई पूनाबाई मुन्नीबाई पिता तेजबल जयवंतीबाई वेवा किशोरसिंह सुरेश दिनेश रमेश पिता किशोरसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	260/2 (s)	0.405
24	नरवर सिंह पुत्र तेजबल सिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	260/3 (s) ✓ 256 (s)	0.364 0.040

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
25	सुशीलाबाई वेवा निहालसिंह जाति लोधी पता हिरनपुर करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी नेतराज पिता निहाल सिंह रामसींग पिता निहालसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/3 (s)	0.845
26	गोमतीबाई वेवा जगदीश सुरेन्द्र पुत्र जगदीश सतेन्द्र पुत्र जगदीश संदीप पुत्र जगदीश सुमन पुत्री जगदीश संध्या पुत्री जगदीश जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/2 (s)	0.404
27	धरमसिंह पुत्र गेंदालाल जाति लडिया पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/1 (s)	0.850
28	तुलसाबाई पिता लक्ष्मण सिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	254/1 (s)	0.152
29	हेमराज पिता नेतराम जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	254/2 (s)	0.252
30	प्रदीप पिता नेतराम जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	254/3 (s)	1.094
31	प्रमोद पिता नेतराम जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	254/4 (s)	0.074
32	गरेलाल पुत्र चतुर्भुज जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	252/1 (s)	0.120
33	भारत पिता शेरसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	252/2 (s)	0.168
34	हाकम सिंह आ. देवीसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	251/1 (s)	0.097
35	डोरीलाल पुत्र हनुमतसिंह जाति लोधी पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/2 (s)	0.325
36	मातवरसिंह पिता छोटेलाल जाति लोधी पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/3 (s)	0.097

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
37	हल्कू उर्फ गिरिराज पिता गोधनसिंह जाति लोधी पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/5 (s)	0.048
38	मानकुंवर बाई पत्नी दुलीचंद डीमर पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	176/1/2 (s) 177 (s)	0.080 0.223
39	मनोहरलाल पिता शोभाराम सरस्वती बाई उर्फ गीताबाई पिता शोभाराम जाति बाढ़ई पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	176/1/1 (s)	0.240
40	सीताराम पिता परसादी जाति बाढ़ई पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	176/2 (s)	0.360
41	राजकुमार पिता लेखराम जाति बाढ़ई पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	176/3 (s)	0.360
42	हाकमसिंह पिता बहादुरसिंह तुलसाबाई पुत्री दरयाब नन्हु हरिशंकर टीकाराम पिता सरदारसिंह सोखेलाल पिता पतिराम जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	174/1 (s)	0.267
43	राकेश पिता नर्मदाप्रसाद जाति लोधी पता पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	174/2 (s)	0.251
44	भारतसिंह वल्द जालमसिंह जाति बाढ़ई पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	173/2 (s) 180 (s)	0.290 0.028
45	काशीराम पुत्र रामचरण जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	172/1 (s)	0.809
46	मोतीलाल पूरनलाल पिता कोमलसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	172/3 (s)	0.709
47	मल्खानसिंह पिता हल्केसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	170/3 (s) 171/2 (s)	0.307
48	रामेश्वर सिंह पिता हल्के सिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	170/5 (s) 171/4 (s)	0.667

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
49	धमेन्द्र पिता मलखानसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	170/6 (s) 171/5 (s)	0.105
50	मल्ले पिता हल्के जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	170/7 (s) 171/6 (s)	0.951
51	देवीसिंह पुत्र मल्ले सिंह लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	170/8 (s) 171/7 (s)	0.145
52	टीकाराम पुत्र भगवत जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/6 (s)	0.251
53	नीरज पत्नि स्व. प्रतापसिंह प्रभातसिंह पिता प्रतापसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	146 (s)	0.405
54	हल्कीबाई पत्नि डालसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	149/3 (s) \ 150/3 (s) \	0.101
55	तिब्बा वेवा ओमकार डालचंद पुत्र ओमकार नर्मदीबाई हरिबाई पुत्री ओंकार अन्तोष पुत्र ओंकार अहिल्या पुत्री ओंकार सूरज पुत्र ओंकार जाति ढीमर पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	165 (s) 168/3 (s)	1.084 0.283
56	हरीबाई चतराबाई पुत्री परामलाल जाति धानक पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	230 (s)	0.040
57	नन्हेलाल पिता नब्बू जाति ढीमर पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	164/1 (s) 168/5/1 (s)	0.229 0.081
58	शंकरलाल पिता नब्बू जाति ढीमर पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	164/2 (s) 168/5/2 (s)	0.229 0.081
59	रमेशकुमार पिता नब्बू जाति ढीमर पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	164/3 (s) 168/5/3 (s)	0.234 0.081
60	दुल्लीसिंह पिता नब्बू सविता बाई पत्नी राजाराम जाति ढीमर पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	164/4 (s)	0.234
61	टीकाराम पुत्र भगवत जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	163/1 (s)	0.120

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
62	गोदावरी बाई बेवा रामसिंह किरण बाई पुत्री रामसिंह लोधी पत्नी नरेन्द्र सिंह लोधी प्रीती पुत्री राम सिंह लोधी पत्नी उदयभान सिंह लोधी देवेन्द्र संजय पुत्र रामसिंह लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	158/1 (s) ✓ 158/2 (s) ✓	0.364 0.291
63	लक्ष्मनसिंह पिता नरसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	158/3 (s)	0.070
64	डोरीलाल तिलकसिंह पुत्र डालसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	158/6 (s)	0.648
65	प्रकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	155/3/1 (s)	0.445
66	देवेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद जाति लोधी पता गोकला करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	155/3/2 (s)	0.344
67	दमेतीबाई पत्नी गुलाबसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	155/4 (s)	0.668
68	लीलाबाई पत्नी द्वारकाप्रसाद जाति तिवारी पता बिचुआ करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	155/5 (s) 155/6 (s)	0.768
69	शिवकुमार पिता द्वारकाप्रसाद जाति तिवारी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	155/7 (s)	0.202
70	राजेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीप्रसाद जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	155/8 (s)	0.405
71	श्रीदेव रामचन्द्र जी सर. खुमानसिंह पिता विजयसिंह जाति लोधी पता गुरसी प्रबंधक कलेक्टर नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	156 (s)	0.202
72	भगवतसिंह पिता रघुनाथ सिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	162/1 (s) 163/2 (s) 166 (s) 168/1 (s)	0.308 0.457 1.441 1.700

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
73	प्रभुदयाल पिता रघुनाथ सिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	161 (s) 162/2 (s) 167 (s) 168/2 (s)	0.628 0.869 0.599 2.444
74	दुर्गाबाई पिता रणजीत सिंह पति सत्यनारायण जाति लोधी पता बंधी पिठेहरा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/4/1 (s)	0.933
75	पार्वतीबाई पिता रणजीत सिंह पति धनीराम जाति लोधी पता रमपुरा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/4/2 (s)	
76	प्रभाबर्त वेवा अशोक बिशन पिता अशोक सराजेबाई पिता पिता रणजीत सिंह एकमसिंह नन्हासिंह पिता गिरवसिंह गणेशीबाई वेवा दशरथ सिंह गजराज सुनीता पित दशरथ सिंह उदयराम परसराम कुंवर चित्राबाई पिता जयराम सुशीलाबाई लीलाबाई बेवा छोटेलाल दीपक हेमवती पिता जयराम जाति लोधी जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/4/3 (s)	
77	सेवकसिंह पिता भगवतसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	179/1 (s) 179/2 (s)	0.284
78	प्रभाबाई वेवा अशोक कुमार विशान पुत्र अशोक कुमार जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	126/1 (s) 182/1 (s)	0.160
79	सेवकसिंह पिता भगवतसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	126/1 (s)	
80	टीकाराम पुत्र भगवत जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	182/2 (s)	
81	हरिओम पिता नारायण सिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	126/3/1 (s) 182/4/1 (s)	
82	विनोद पिता सत्यपाल जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	126/3/2 (s) 182/4/2 (s)	
83	नन्हेलाल एकम सिंह पुत्र गिरवर सिंह लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	126/4 (s) 182/5 (s)	

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
84	गनेशीबाई बेवा दशरथ भूपेन्द्र पुत्र दशरथ गजराज पुत्र दशरथ सुनीता पुत्री दशरथ जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	126/5 (s) 182/6 (s)	
85	रामसिंह पिता गोधनसिंह हक्कू उर्फ गिरीराज पिता गोधनसिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	229/1 (s)	0.012
86	सूरत सिंह पिता देवी सिंह जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	229/3 (s)	0.024
87	दुर्गाबाई पिता रणजीतसिंह पति सत्यनारायण जाति लोधी पता बंधी पिठेहरा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/4/1 (s)	0.933
88	पार्वतीबाई पिता रणजीतसिंह पति धनीराम जाति लोधी पता रमपुरा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/4/2 (s)	
89	प्रभाबाई बेवा अशोक बिशन पिता अशोक सरोजबाई पिता रणजीतसिंह एकमसिंह नन्दासिंह पिता गिरवरसिंह गणेशीबाई बेवा दशरथसिंह गजराज सुनीता पिता दशरथसिंह उदयराम परसराम कुंवर चित्राबाई पिता जयराम सुशीलाबाई लीलाबाई बेवा छोटेलाल दीपक हेमवती पिता जयराम जाति लोधी पता गुरसी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/4/3 (s)	
कुल योग				40.524

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

10

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अब्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के रजार लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्षा क्रमांक-84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0180/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला-बालाघाट

तहसील - लालबरा

वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)

वन परिक्षेत्र - वारासिवनी (सा.)

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	लवादा (ब)	लवादा	चरनोई भूमि	17/1/2	7.15	उत्तर - आरक्षित वनखण्ड लवादा के मुनारा क्रमांक 40 एवं 41 के मध्य स्थापित मुनारा क्रमांक 40/1 से लवादा (ब) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - लवादा (ब) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 20 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - लवादा (ब) संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से मुनारा क्रमांक 23 होते हुये आरक्षित वनखण्ड लवादा के मुनारा क्रमांक 43 एवं 44 के मध्य स्थापित मुनारा क्रमांक 43/1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड लवादा के मुनारा क्रमांक 43/1 से मुनारा क्रमांक 40/1 तक वन सीमा।
				योग-	7.15	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक

FP/MP/ROAD/409048/2022 दिनांक **20.08.2024** में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग/संस्थान- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई छिंदवाड़ा, **NH-543** अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना बालाघाट से गोंदिया मार्ग निर्माण कार्य प्रस्ताव क्रमांक **FP/MP/ROAD/409048/2022** में प्रभावित वन भूमि रकबा **7.32** हेक्टेयर के एवज में उपरोक्त अनुसूची अनुसार वर्णित प्राप्त कुल **7.15** हेक्टेयर राजस्व भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0019/अ-59 वर्ष **23-24** में पारित आदेश दिनांक **21.10.2023** से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबरा, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0180-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0180-2025-FLR-PCCF, दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2025

No.PCCF/7/0180/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE**District :-** Balaghat**Tahsil :-** Lalburra**Forest Division :-** South Balaghat**Forest Range :-** Waraseoni

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Lawada (B)	Lawada	Charnoi Bhumi	17/1/2	7-15	North: Artificial forest boundary from Pillar No. 40/1 (situated between Pillar Nos. 40 and 41 of the Lavada Reserved Forest Block) to Pillar No. 3 of the Lavada (B) Protected Forest Block. East: Artificial forest boundary from Pillar No. 3 to Pillar No. 20 of the Lavada (B) Protected Forest Block. South: Artificial forest boundary from Pillar No. 20 passing through Pillar No. 23 of the Lavada (B) Protected Forest Block, up to Pillar No. 43/1 (situated between Pillar Nos. 43 and 44) of the Lavada Reserved Forest Block. West: Forest boundary from Pillar No. 43/1 to Pillar No. 40/1 of the Lavada Reserved Forest Block.
				Total	7.15	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. FP/MP/Road/409048/2022 dated 20-08-2024 and in lieu of 7.32 hectare of forest land affected in construction of road from Balaghat to Gondia proposal No. FP/MP/Road/409048/2022 of user agency- Project Director National Highway, Authority of India PIU- Chhindwara NH-543, the Revenue Land of 7.15 hectare as mentioned in the schedule above, transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No./R.P.K./ 0019/A-59 year 23-24 dated 21-10-2023 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Competent Revenue officer report (Certificated) of Tahsildar- Lalburra, District- Balaghat are as under.

1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0301/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की सूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या सामुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - पन्ना

तहसील - शाहनगर/रैपुरा

वनमण्डल - दक्षिण पन्ना

वन परिक्षेत्र - शाहनगर/रैपुरा

अ.क्र.	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाएं
	वन खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे. में)	
1	झिन्ना	(लमतारा) झिन्ना	शासकीय	22	25.11	उत्तर: - संरक्षित वन खण्ड
				23	3.95	जुगरवारा के मुनारा
				24	0.83	क्रमांक 113 एवं 112 के मध्य
				25	1.50	स्थापित मुनारा क्रमांक
				26	1.00	112/1 से मुनारा क्रमांक 111
				117	2.97	तक की वन सीमा।
				118	6.48	पूर्व: - संरक्षित वन खण्ड
				27	0.94	जुगरवारा के मुनारा क्रमांक
				28	1.83	111 से मुनारा क्रमांक
				29	2.02	106 तक की वन सीमा।
				30	27.59	दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड
						जुगरवारा के मुनारा क्रमांक 106 से संरक्षित वनखण्ड

						झिन्ना के मुनारा क्रमांक 1 होते हुये 6 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम: - संरक्षित वन खण्ड झिन्ना के मुनारा क्रमांक 6 से 12 होते हुये संरक्षित वन खण्ड जुगरवारा के मुनारा क्रमांक 112/1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
वनखण्ड का योग:-				11	74.22	
2	तुल्ला	तुल्ला	शासकीय	2 17 20/1 73 77/1	7.90 9.30 10.63 9.33 8.84	उत्तर: - संरक्षित वनखण्ड तुल्ला के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 11 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व: - संरक्षित वनखण्ड तुल्ला के मुनारा क्रमांक 11 से 53 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड तुल्ला के मुनारा क्रमांक 53 से 59 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम: - संरक्षित वनखण्ड तुल्ला के मुनारा क्रमांक 59 से 68 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
वनखण्ड का योग:-				5	46.00	
3	मलघन (ए)	मलघन	शासकीय	151 152 161 1239	10.63 6.97 6.00 11.94	उत्तर: - संरक्षित वनखण्ड मलघन के मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 5 तक वन सीमा। पूर्व:-संरक्षित वनखण्ड मलघन के मुनारा क्रमांक 5 से संरक्षित वनखण्ड मलघन (ए) के

					मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम सीमा। दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड मलघन (ए) के मुनारा क्रमांक 1 से 39 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:- - संरक्षित वनखण्ड मलघन (ए) के मुनारा क्रमांक 39 से 43 होते हुये संरक्षित वनखण्ड मलघन के मुनारा क्रमांक 11 तक की कृत्रिम वन सीमा।
वनखण्ड का योग:-				4	35.54
महायोग				20	155.76

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./ F.No.B-121/2011-FC(Pt) दिनांक 17.02.2014 एवं आदेश क्र./F.No.B-121/2011-FC(Pt) दिनांक 15.05.2019 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार जल संसाधन विभाग संभाग पन्ना जिला पन्ना को स्वीकृत रूझ सिंचाई परियोजना निर्माण में प्रभावित 154.910 हे. वन भूमि के एवज में प्राप्त ग्राम झिन्ना (लमतरा) 74.22 हे. एवं ग्राम तुल्ला मे कुल 46.00 हे. एवं ग्राम मलघन में 35.54 हे. गैर वनभूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर पन्ना के पत्र क्रमांक-644/भू-अर्जन/2014 पारित आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(I) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(II) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0301-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0301-2025-FLR-PCCF, दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2025

No./PCCF/7/0301/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below, subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE**District :- Panna****Tehsil :- Shahnagar/ Raipura****Forest Division :- South Panna****Forest Range :- Shahnagar/ Raipura**

s.no.	Name of forest block	Detail of the land included				Forest block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1	Jhinna (Lamtara)	Jhinna	Government	22 23 24 25 26 117 118 27 28 29 30	25.11 3.95 0.83 1.50 1.00 2.97 6.48 0.94 1.83 2.02 27.59	North: Forest boundary from Pillar No. 112/1 (situated between Pillar Nos. 113 and 112 of the Jugrawara Protected Forest Block) to Pillar No. 111. East: Forest boundary from Pillar No. 111 to Pillar No. 106 of the Jugrawara Protected Forest Block. South: Artificial forest boundary from Pillar No. 106 of the Jugrawara Protected Forest Block passing through Pillar No. 1 of the Jhinna Protected Forest Block up to Pillar No. 6. West: Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to Pillar No. 12 of the Jhinna Protected Forest Block, and then up to Pillar No. 112/1 of the

						Jugrawara Protected Forest Block.
BlockTotal:-				11	74.22	
2	Tulla	Tulla	Government	2	7.900	North: Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 11 of the Tulla Protected Forest Block.
				17	9.300	
				20/1	10.630	
				73	9.330	
				77/1	8.84	East: Artificial forest boundary from Pillar No. 11 to Pillar No. 53 of the Tulla Protected Forest Block.
						South: Artificial forest boundary from Pillar No. 53 to Pillar No. 59 of the Tulla Protected Forest Block.
						West: Artificial forest boundary from Pillar No. 59 passing through Pillar No. 68 and continuing up to Pillar No. 1 of the Tulla Protected Forest Block.
BlockTotal:-				5	46.00	
3.	Malghan (A)	Malghan	Government	151	10.63	N o r t h : Forest boundary from Pillar No. 11 to Pillar No. 5 of the Malghan Protected Forest Block.
				152	6.97	
				161	6.00	
				1239	11.94	
						E a s t : Artificial boundary from Pillar No. 5 of the Malghan Protected Forest Block to Pillar No. 1 of the Malghan (A) Protected Forest Block.
						S o u t h : Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 39 of the Malghan (A)

						Protected Forest Block.
						West: Artificial forest boundary from Pillar No. 39 to Pillar No. 43 of the Malghan (A) Protected Forest Block, and then up to Pillar No. 11 of the Malghan Protected Forest Block.
					BlockTotal:-	4
					Grand Total :-	20
						35.54
						155.76

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India order no. F.No.B-121/2011-FC(Pt) date 17.02.2014 , order no. F.No.B-121/2011-FC(Pt) date 15.05.2019 in lieu of 154.910 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Runjh Dam Irrigation project of Water Resources Department Panna District Panna the above mentioned Non forest land of Village Jhinna (Lamtara) 74.22 hectare And Village Tulla 46.00 hectare And Village Malghan 35.54 hectare transferred and mutated in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department by order case no/644/Bhu-Arjan/2014 dated 26 September 2014 of Collector District Panna M.P. for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - No.

(B) The khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Nil) dates (Nil). Of Competent revenue officer (Nil) (Designation-Nil) are as under.

1. Individual rights - Nil

2. community rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0246/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

**जिला - मंदसौर
वनमंडल - मंदसौर**

**तहसील - शामगढ़
परिक्षेत्र - गरोठ**

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	धर्मराजेश्वर (सी0ए0)	चंदवासा	गैर वनभूमि (शासकीय)	2326 (भाग)	4.253	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड धर्मराजेश्वर (सी0ए0) के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड धर्मराजेश्वर (सी0ए0) के मुनारा क्रमांक 4 से मुनारा क्रमांक 5 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड धर्मराजेश्वर (सी0ए0) के मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड धर्मराजेश्वर (सी0ए0) के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6-MPB062/2020-BHO में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना प्रशासक एस0एस0पी0आई0यू0 शामगढ़ (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना शामगढ़-सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में प्रभावित 4.253 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.253 हेक्टेयर गैर वन पड़त भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरोठ के आदेश क्रमांक बी-121/2019-20 दिनांक 20.03.2020 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण -

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी - (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरोठ) के प्रतिवेदन क्रमांक - दिनांक 20.03.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगत अधिकार - कोई नहीं

2. सामुदायिक अधिकार - कोई नहीं

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0246-2024-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0246-2024-FLR-PCCF, दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2025

No./PCCF/7/0246/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of The Indian forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares The provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas Specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals c communities in such forest Shall not be abridged or affected in any manner except in s far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE**District :- Mandsour****Tehsil :- Shamgarh****Forest Division :- Mandsour****Forest Range :- Garoth**

S.N.	Details of land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1-	Dharmrajeshwar (C.A.)	Chandwasa	Non Forest Barren Land (Govt.)	2326 (Part)	4.253	North - Artificial fores boundary from Pillar No. 3 to Pillar No. 4 of protectec forest block Dharmrajeshwar (C.A.). East - Artificial fores boundary from Pillar No. 4 to Pillar No. 5 of protectec forest block Dharmrajeshwar (C.A.). South - Artificial fores boundary from Pillar No. 5 to Pillar No. 1 of protected forest block Dharmrajeshwar (C.A.). West - Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 3 of protected forest block Dharmrajeshwar (C.A.).

Reason for publication of Notification :-

1. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi Order Number 6-MPB062/2020-BHO Date 31-12-2020 in lieu of 4.253 hectare of affected Forest Land Under The Sanctioned Project Of the Project Administrator, S.S.P.I.U. Shyamgarh district Mandsaur M.P. project approved construction of the Project affected Purpose 4.253 ha forest land in lieu of the total compensation of non-forest fallow land for the purpose of afforestation in favor Madhya Pradesh Forest Department Mandsaur the district collector's (SDO Revenue) order number B-121 the year 2019-20 dated 20.03.2020 transferred or to be transferred to the forest to be declared as Protected Forest in Sec.29.

2- The Khasra Wise Details Of Recorded Right On The Above Land as Per Order Dated 20-03-2020 of district collector's (SDO Revenue), District- Mandsaur Are as Under.

(A) Rights of individual: - Nil

(B) Rights of Community: - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0510/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची**जिला - अशोकनगर****तहसील - चन्देरी****वनमण्डल - सामान्य वनमण्डल अशोकनगर****वनपरिक्षेत्र - चन्देरी**

अ.क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा न.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1-	गोरासहराई	गोरासहराई	राजस्व (शासकीय)	527/1/1/ध (भाग)	12.550	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से संरक्षित वनखण्ड हलनपुर के मुनारा क्रमांक 54 एवं 55 के मध्य स्थापित 54 'बी' तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड हलनपुर के मुनारा क्रमांक 54 'बी' से मुनारा क्रमांक 54 एवं 55 के मध्य स्थापित मुनारा क्रमांक 54 'ए' तक की वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड हलनपुर के मुनारा क्रमांक 54 'ए' से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 होते हुये मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 17 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वनमंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F-No.6-MPC 041/2021-BHO दिनांक 28.06.21 एवं F-No.6-MPC 041/2021-BHO दिनांक 22.09.21 में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना प्रबंधक कार्यालय परियोजना संचालक और नदी

परियोजना प्रबंधन इकाई, बामौरकलां, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना चन्देरी माइक्रो सिंचाई परियोजना में प्रभावित 12.550 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.550 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.550 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, अशोकनगर के आदेश क्रमांक प्रकरण क्रमांक/10/अ-59/2020-21 दिनांक 30.12.2020 हस्तारित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार चंदेरी के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0510-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0510-2025-FLR-PCCF, दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2025

No./PCCF/7/0510/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927(XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE**District :- Ashoknagar****Forest Division :- Ashoknagar****Tahshil :- Chanderi****Forest Range :- Chanderi**

S.No.	Name of Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Gorasahrai	Gorasahrai	Revenue	527/1/1/dh (Part)	12.550	North: Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 4 of the Protected Forest Block. East: Artificial forest boundary from Pillar No. 4 of the Protected Forest Block to Pillar No. 54 'B', which is established between Pillar Nos. 54 and 55 of the Halanpur Protected Forest Block. S o u t h : Forest boundary from Pillar No. 54 'B' to Pillar No. 54 'A' (established between Pillar Nos. 54 and 55 of the Halanpur Protected Forest Block), and from Pillar No. 54 'A' passing through Pillar No. 7 up to Pillar No. 8 of the Protected Forest Block. West: Artificial forest boundary from Pillar No. 8 passing through

						Pillar No. 17 up to Pillar No. 1 of the Protected Forest Block.
--	--	--	--	--	--	---

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt of India's order No. F-No.6-MPC 041/2021-BHO dated 28.06.21 and F-No.6-MPC 041/2021-BHO dated 22.09.21 in lieu of 12.550 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Chanderi Micro Irrigation, of Project Manager, Office of The Project Director Orr River Project Management Unit, Bamore kalan, Dist.-Shivpuri (M.P.), the above mentioned Non forest Land of 12.550 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No./10/A-59/2020-21 dated 30.12.2020 of Collector, Ashoknagar for the purpose of compensatory afforestation.

2. Detail of other Reasons- Nil.

2. The Khasra wise details of recorded on the above land as per report of Tahsildar Chanderi are as under.

1. Right of individuals :- Nil

2. Right of communities :- Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0647/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - पोहरी

वनमण्डल - शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम - पोहरी

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे०)	
1	दौरानी	दौरानी	राजस्व भूमि	596/1	4.95	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड दौरानी के मुनारा क्र 8 से 9 एवं 10 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड दौरानी के मुनारा क्र. 1 से संरक्षित वनखण्ड लोखरी के मुनारा क्रमांक 288 एवं 287 के मध्य स्थापित मुनारा क्रमांक 288/1 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड लोखरी के मुनारा क्रमांक 288/1 से मुनारा क्रमांक 287 तक वन

						सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड लोखरी के मुनारा क्रमांक 287 से मुनारा क्रमांक 286 तक वन सीमा से होते हुए संरक्षित वनखण्ड दौरानी के मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	4.95	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल म०प्र० के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर एफ पी/एम.पी/रोड/436528/2023 दिनांक 25-01-2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सिकन्दुपरा से लोखरी परियोजना कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग शिवपुरी में प्रभावित 4.907 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 4.95 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक/0055/अ-20(3)/2023-24/747 दिनांक 09-08-2023 से 4.95 हेक्टेयर हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के करण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार - निरंक

2. सामुदायिक अधिकार - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0647-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0647-2025-FLR-PCCF, दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2025

No./PCCF/7/0647/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Shivpuri
Forest Division: - Shivpuri

Tahsil Pohari
Forest Range Pohari

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Dourani	Dourani	Revenue Land	596/1	4.95	N o r t h : Artificial forest boundary from Pillar No. 8 to 9 and 10 of the Dourani Protected Forest Block, up to Pillar No. 1. E a s t : Artificial forest boundary from Pillar No. 1 of the Dourani Protected Forest Block to Pillar No. 288/1, which is established between Pillar Nos. 288 and 287 of the Lokhari Protected Forest Block. S o u t h : Forest boundary from Pillar No. 288/1 to Pillar No. 287 of the Lokhari Protected Forest Block. W e s t : Artificial forest boundary from Pillar No. 287 to Pillar No. 286 of the Lokhari Protected Forest Block, continuing up to Pillar No. 8 of the Dourani Protected Forest Block.
				Total	4.95	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional office Bhopal Madhya Pradesh of order No-FP/MP/ROAD/436528/2023 dated 25-01-2024 and in lieu of 4.907 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sikandpura to Lokhari Road By the EE PWD Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 4.95 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No. 0055/A-20 (3) /2023-24/747 Order dated 09-08-2023 of 4.95 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Pohari are as under.

1. Individual Rights - Nil.

2. Community Rights - Nil.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 नवंबर 2025

क्र. B-7903-दो-2-44-2018.- श्री सतीश चन्द्र राय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7905-दो-2-48-2022.- श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7907-दो-2-21-2022.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छत्तरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7909-दो-2-114-2017.- श्री राजीव ए. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 20 नवंबर 2025

क्र. A-4946-दो-2-44-2024.- श्री शरत चन्द्र सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शरत चन्द्र सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शरत चन्द्र सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4948-दो-2-36-2022.- श्री संदीप शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 01 से 05 दिसम्बर 2025 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 एवं 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संदीप शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4950-दो-2-26-2023.-श्रीमती माया विश्वलाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 25 अक्टूबर 2025 का 01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती माया विश्वलाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती माया विश्वलाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-4952-दो-2-41-2021.-श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 28 नवम्बर 2025 से 03 दिसम्बर 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4954-दो-2-82-2023.-श्री अजय कांत पाण्डेय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4956-दो-2-17-2024.-श्री आशुतोष मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 28 नवम्बर 2025 से दिनांक 05 दिसम्बर 2025 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 एवं 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आशुतोष मिश्र उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4963-दो-2-18-2023.-श्री डी.पी.एस. गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 नवम्बर 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी.पी.एस. गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.पी.एस. गौर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4965-दो-2-51-2021.-श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-4968-दो-2-14-2025.-श्रीमती वंदना जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वंदना जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वंदना जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-7987-दो-2-38-2021.-श्री के.एस. बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7989-दो-2-33-2023.-श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7991-दो-2-44-2015.-डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को दिनांक 09 से 12 दिसम्बर 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. कुलदीप जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-7993-दो-2-13-2015.-श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 04 से 12 नवम्बर 2025 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-7995-दो-2-74-2017.-श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 01 से 05 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 नवम्बर 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 एवं 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-7997-दो-2-15-2019.-श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7999-दो-2-61-2021.-श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-8001-दो-2-39-2022.-श्री ललित किशोर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-8003-दो-2-05-2023.-श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-8005-दो-2-52-2021.- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-8007-दो-2-11-2024.-श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-8009-दो-2-16-2022.-श्री राजाराम भारतीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-8011-दो-2-55-2017.-सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-8013-दो-2-15-2023.-श्री शेख सलीम, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-7019-दो-3-53-2005.-श्री कपिल मेहता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 10 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2025 तक, तैंतीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-7021-दो-2-44-2015.-डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को दिनांक 09 से 10 अगस्त 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एच. टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2022 से 2025 तक की ब्लाक अवधि के लिए एल.टी.सी. सुविधा के अतर्गत दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. C-7023-दो-2-48-2021.-श्री अरविंद रघुवंशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के

अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-7025-दो-2-14-2025.-श्रीमती वंदना जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-7027-दो-2-31-2023.-श्री विजय सिंह कावछा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-7029-दो-2-30-2023.-श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1599-दो-2-43-2020.-श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1601-दो-2-18-2025.—श्री शिव बालक साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1603-दो-2-32-2025.—श्री अविनाश चन्द्र तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1605-दो-2-36-2022.—श्री संदीप शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 06 मार्च 2023 से 05 मार्च 2025 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1607-दो-2-15-2019.—श्री एम.के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1609-दो-2-31-2021.—श्री प्रयाग लाल दिनकर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्र. B-8064-दो-2-05-2023.—श्री अतुल कुमार खंडेलवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 6 से 08 नवम्बर 2025 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही

अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 नवम्बर 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खंडेलवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खंडेलवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-8066-दो-2-05-2023.—श्री अतुल कुमार खंडेलवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 12 से 19 नवम्बर 2025 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खंडेलवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खंडेलवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-7073-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा क्रमांक 1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 04 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 04 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री गुप्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को उनके खाते में 215 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 368 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में : 215 दिवस
नगद भुगतान
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज : 170 (170/2=85 दिवस
में नगद भुगतान का पूर्ण अवकाश वेतन),

क्र. C-7075-दो-3-420-80-भाग-बारह.-श्रीमती सविता सिंह, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का क्रमांक 1127-इक्कीस-ब(एक)-2024, राज्य शासन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 04 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी-3771, दिनांक 04 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्रीमती सविता सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को उनके खाते में 153 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 259 अर्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 282^{1/2} दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में : 153 दिवस
नगद भुगतान
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज : 259 (259/2=129^{1/2} दिवस
में नगद भुगतान का पूर्ण अवकाश वेतन),

क्र. D-1632-दो-2-41-2019.-श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 21 से 24 नवम्बर 2025 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1634-दो-2-51-2021.-श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 28 नवम्बर से 05 दिसम्बर 2025 तक आठ दिन का अर्जित

अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 एवं 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-1636-दो-2-23-2020.-श्री के.एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 20 से 29 नवम्बर 2025 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के.एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1638-दो-2-24-2025.-श्री राजेश कुमार देवलिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 26 नवम्बर 2025 से 05 दिसम्बर 2025 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 एवं 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार देवलिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार देवलिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

आशीष तिवारी, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

Jabalpur, the 1st December 2025

No. B/8292-I-7-3-2025 (Part-I).-It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2026.

Summer Vacation : From 18th May 2026 to 12th June, 2026.

Winter Vacation : From 25th December 2026 to 31st December, 2026.

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Holiday	01-01-2026	Thursday
		02-01-2026	Friday
2.	Republic Day	26-01-2026	Monday
3.	Holi Holidays	02-03-2026	Monday
		03-03-2026	Tuesday
4.	Gudi Padwa	19-03-2026	Thursday
5.	Ramnavmi	27-03-2026	Friday
6.	Mahaveer Jayanti	31-03-2026	Tuesday
7.	Good Friday	03-04-2026	Friday
8.	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	13-04-2026	Monday
		14-04-2026	Tuesday
9.	Buddh Purnima	01-05-2026	Friday
10.	Id-UI-Zuha	27-05-2026	Wednesday
11.	Moharrum	26-06-2026	Friday
12.	Id-milad un-Nabi	24-08-2026	Monday
13.	Raksha Bandhan	28-08-2026	Friday
14.	Janmashtmi	04-09-2026	Friday
15.	Ganesh Chaturthi	14-09-2026	Monday
16.	Gandhi Jayanti	02-10-2026	Friday
17.	Dussehra Holidays		
	(19 th 20 th & 24 th October, 2026)		
	Mahanavmi	19-10-2026	Monday
	Dussehra	20-10-2026	Tuesday
		24-10-2026	Saturday

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Deepawali Holidays (Deepewali dt. 08.11.2026) (7 th November to 13 th November, 2026)		
	Chhoti Diwali	07-11-2026	Saturday
	Govardhan Pooja	09-11-2026	Monday
		10-11-2026	Tuesday
		11-11-2026	Wednesday
		12-11-2026	Thursday
		13-11-2026	Friday
19.	Gurunanak Jayanti	24-11-2026	Tuesday
20.	Christmas Day	25-12-2026	Friday

Total: 30 Days

NOTES :-

1. Independence Day dated 15-08-2026, Sarv Pitra Moksha Amavasya dated 10-10-2026, falls on Saturday and Mahashivratri dated 15-02-2026, Id-ul-Fitar dated 22-03-2026, falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 10th & 17th January, 14th & 21st February, 14th & 21st March, 11th & 18th April, 9th & 16th May, 13th & 20th June, 11th & 18th July, 8th & 15th August, 12th & 19th September, 10th & 17th October, 14th & 21st November, 12th & 19th December will be closed Saturdays.
3. Saturdays falling on 3rd, 24th & 31st January, 7th & 28th February, 7th & 28th March, 4th & 25th April, 2nd May, 27th June, 4th & 25th July, 1st, 22nd & 29th August, 5th & 26th September, 3rd & 31st October, 28th November, 5th December will be Court Non working Saturdays. The Registry shall remain open on these Saturdays.
4. Summer Vacation of High Court shall be from 18th May, 2026 to 12th June, 2026 and Winter Vacation from 25th December 2026 to 31st December, 2026.
5. Due to uncertainty relating to Id-ul-Fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum, Id-Milad un-Nabi or any other holiday, the same may be modified as directed by Hon'ble Chief Justice.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

धर्मेन्द्र सिंह (रजिस्ट्रार जनरल).

Jabalpur, the 19th November 2025

ORDER

No.290-JOC-002315.—WHEREAS, an enquiry has been ordered to be initiated against Shri Rajaram Bhartiya, Principal District & Sessions Judge, Panna for showing acts of grave misconduct and misuse of powers.

AND WHEREAS, looking to the seriousness and nature of the allegations constituting grave misconduct and to obviate the possibility of tampering with the evidence and witnesses etc. and for ensuring a free and fair enquiry, it is required to place the judicial officer under suspension.

Therefore, in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of M.P. Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules 1966 and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Rajaram Bhartiya, Principal District & Sessions Judge, Panna, under suspension with immediate effect with the headquarter at Panna during the period of suspension.

He is further directed to report immediately to the Special Judge SC/ST (P.A.) Act & I Additional Judge to the court of I District and Additional Sessions Judge, Panna, in compliance of the order.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

राजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस).